राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 156वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 156वीं बैठक दिनांक 11/10/2023 को अपरान्ह 02:30 बजे संपन्न हुई।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा उपस्थित प्राधिकरण के सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 155वीं बैठक दिनांक 03/10/2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 155वीं बैठक दिनांक 03/10/2023 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्याकंन समिति, छत्तीसगढ़ की 476वीं, 477वीं एवं 478वीं बैठक क्रमशः दिनांक 19/07/2023, 20/07/2023 एवं 27/07/2023 की अनुशंसा के आधार पर औद्योगिक परियोजनाओं एवं गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स त्रिमूर्ति रि–रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड, फेस–2, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2448)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/430166/ 2023, दिनांक 21/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् फेस–2, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–0.8157 हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष एवं एम.एस.पाईप्स–15,000 टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 12.89 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से आवेदित प्रकरण को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स दोन्देकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री पवन कुमार अग्रवाल), ग्राम–दोन्देकला, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2453)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430299/ 2023, दिनांक 23/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दोन्देकला, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक–126/1, 126/2, 126/5, 127/1, 127/3, 127/4, 128/1, 128/2 एवं 128/4, कुल क्षेत्रफल – 2.687 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–60,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुलदीप वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 126/1, 126/2, 126/5, 127/1, 127/3, 127/4, 128/1, 128/2 एवं 128/4, कुल क्षेत्रफल–2.687 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–60,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 24/06/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 23/06/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दोंदेकला का दिनांक 12/08/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन ऑफ द अप्रुव्ड क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 4263/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 18/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3009/कोपा/उ.प./चूना.पत्थ./2022–23 रायपुर, दिनांक 12/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 13.925 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3009/कोपा/उ.प./चूना.पत्थ./2022–23 रायपुर, दिनांक 12/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार स्वीकृत खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री पवन कुमार अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षो अर्थात् दिनांक 23/06/2017 से 22/06/2047 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स ओसेन स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है। उत्खनन के संबंध में भू–स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दोंदेकला 600 मीटर, स्कूल–दोंदेकला 600 मीटर एवं अस्पताल दोंदेकला 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 680 मीटर दूर है। नहर 1.12 कि.मी. एवं नाला 50 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 12,40,500 टन, माईनेबल रिजर्व 5,89,000 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,30,100 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,240 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,190 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10.11 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	60,000
द्वितीय	59,375
तृतीय	53,750
चतुर्थ	60,000
पंचम	58,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.44 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,900 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 7,240 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें

से 2,200 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान मे किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनित क्षेत्र हेतु रिस्टोरेशन प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3009/कोपा/उ.प./चूना.पत्थ./2022–23 रायपुर, दिनांक 12/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 13.925 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–दोन्देकला) का रकबा 2.687 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–दोन्देकला) को मिलाकर कुल रकबा 16.612 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण

के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

   iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iv. Project proponent shall submit production details to till date from the mining department.

   v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

   vi. Project proponent shall submit the Land owner consent letter for mining.

   vii. Project proponent shall submit the NOC issued by the DFO with mentioning the distance of the nearest forest area from the lease boundary.

   viii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

   ix. Project proponent shall submit the consent letter of the land owner regarding the mining.

   x. Project proponent shall submit the permission from CGWA for usage of water.

   xi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

   xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xviii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall complete plantation of previous environmental clearance conditions and submit details of plants (species, number etc.) along with Geotag photographs.

xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report."

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म,

इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. मेसर्स अनंत बायो फ्युल एण्ड बायोटेक, प्लॉट नं. 33, ग्राम–बगौद, सी.एस.आई.डी.सी. मेगा फुडपार्क, इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2226)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/ 289051/ 2022, दिनांक 11/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/12/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी दिनांक 23/05/2023 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–बगौद, सी.एस.आई.डी.सी. मेगा फुडपार्क,, इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित भूमि प्लॉट नं. 33, कुल क्षेत्रफल – 0.5233 हेक्टेयर में ग्रेन बेस्ड फ्यूल ईथेनॉल प्लांट यूनिट क्षमता – 8 किलोलीटर प्रतिदिन एवं बायो सी.एन.जी. (सी.बी.जी.) क्षमता – 10 टन प्रतिदिन हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना में कुल विनियोग रुपये 1.18 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अवीन अनंत, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर पाया गया कि भारत सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 16/06/2021 के अनुसार

i. "5(ga) Grain based distilleries producing ethanol, solely to be used for Ethanol Blended Petrol Programme of the Government of India Note: (i) Projects under category B shall be appraised as B2 category project and in terms of para 4(iiia) of this notification के "Note: (i) Project under category B shall be appraised as B2 category project and in terms of para 4(iiia) of this notification." का उल्लेख है।

ii. उक्त अधिसूचना के Para 4(iii a) Such Category 'B' projects, as notified by the Central Government on account of exigencies such as pandemics, natural disasters, or to promote environmentally friendly activities under National Programmes or Schemes or Missions, shall be considered at the Central level as Category 'B' projects." का उल्लेख है।

उक्त अधिसूचना के अनुसार आवेदित प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में ऑनलाईन आवेदन किया जाना था। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़, जमरूवा एवं दल्ली संरक्षित वन, तहसील–डौंडी, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2460)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 430564/2023, दिनांक 24/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खदान ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़, जमरूवा एवं दल्ली संरक्षित वन, तहसील–डौंडी, जिला–बालोद, कुल क्षेत्रफल 220.42 हेक्टेयर (100.76 हेक्टेयर वन भूमि एवं 119.66 हेक्टेयर राजस्व भूमि) में आयरन ओर उत्खनन क्षमता–2.795 से 3.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (रोम), वेस्ट–9.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष, क्रशर यूनिट (प्रत्येक की क्षमता 250 टी.पी.एच.) – 3, कुल उत्खनन क्षमता – 12.60 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल विनियोग 80 करोड़ रुपये होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीर स्वरूप, एक्जीक्युटिव डॉयरेक्टर (माईन्स), श्री हेमंत दोशी, जनरल मैनेजर (माईन्स) एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स मेकॉन लिमिटेड, विवेकानंद पाथ, पी.ओ. दौरान्दा, जिला–रांची, झारखंड की ओर से श्री शुभमय अदक उपस्थित हुए। । समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

   i. The proposal of M/s Bhilai Steel Plant (BSP), a subsidiary of Steel Authority of India Ltd (SAIL), is for mining of Iron Ore with enhancement of production capacity from 2.0 MTPA to 3.5 MTPA (ROM) in the MLA of 220.42 ha. The mine is located at Iron Ore Complex (IOC) Dalli Rajhara, Tehsil Dondi District Balod, Chhattisgarh.

   ii. TOR for the Proposal was accorded by to Ministry of Environment, Forest & Climate Change in its 33rd meeting and issued on 09.06.2015.

   iii. Proposal for EC along with final EIA submitted to Ministry of Environment, Forest & Climate Change on 09.12.2017. EAC (Non-Coal Mining) held on 26th Feb 2018.

   iv. EAC rejected the proposal with following comment in Minutes of Meeting and also in letter no. J-11015/167/2015-IA.II (M) dated 26.03.2018. "The proposal was received online and accordingly it was considered by the Expert Appraisal Committee in its meeting held during February 26-27, 2018 wherein the PP informed the Committee that they had never taken EC neither under EIA Notification, 1994 nor EIA Notification, 2006 and mine is operating since 1958. In view of above, EAC mentioned that this is a case of violation as PP had not taken EC under the provisions of the EIA Notification 1994/2006 and the instant proposal may be rejected and appraised as per the provisions of the violation Notification issued by the MoEF&CC vide S.O. 804 (E) dated 14th March 2017. The Committee is also of the view that the Consultant is to be warned that they had to guide properly to the PP so that such case should not have come to this Committee with a letter be written to QCI-NABET for necessary action."

   v. Against decision as taken in the minutes of the 28TH EAC Meeting held on 26TH-27TH February 2018 rejecting the proposal of SAIL for grant of EC, as informed vide letter no. J-11015/167/2015-IA.II (M) dated 26.03.2018, SAIL being aggrieved, have filed Writ Petition (Civil) No. 1734 of 2018 before the Hon'ble High Court of Chhattisgarh at Bilaspur praying, amongst others, to quash the letters dated 26.03.2018 and to issue appropriate directions to the department to consider our proposal of EC for enhancement of production capacity for iron ore complex-Pandridalli and Rajhara Pahar Iron Ore Mines in the District of Balod, Chhattisgarh.

   vi. In view of the approaching deadline of the validity of lease till 27.04.2023, on 16.12.2022, SAIL made an IA in the pending Writ Petition 1734/2018 before Hon'ble Chhattisgarh High Court, to

consider the proposal for grant of EC for the purpose of getting the extension of mining lease period of Pandridalli and Rajhara Pahar Mines Lease beyond 27.04.2023 and to maintain continuity of mining operations.

vii. On order dated 20.12.2022 Hon'ble Chhattisgarh High Court, directed the Chhattisgarh State Government to ensure that the application put forth by the BSP/SAIL for renewal of their lease deed which is coming to an end on 27.04.2023 be processed in accordance with law without insisting for the environmental clearance certificate.

viii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 393/खनि.लि./एम.एल./2022 बालोद, दिनांक 24/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (R.O.M. टन में)	वर्ष	उत्पादन (R.O.M. टन में)
1993–94	27,94,788	2008–09	11,24,190
1994–95	26,68,163	2009–10	15,76,000
1995–96	25,39,338	2010–11	15,38,050
1996–97	22,02,029	2011–12	16,56,030
1997–98	14,36,362	2012–13	13,53,160
1998–99	10,65,000	2013–14	10,27,008
1999–2000	8,92,750	2014–15	17,59,036
2000–01	8,87,100	2015–16	19,67,283
2001–02	8,61,650	2016–17	15,40,031
2002–03	9,33,850	2017–18	17,17,183
2003–04	15,47,650	2018–19	14,59,170
2004–05	13,36,900	2019–20	12,48,921
2005–06	10,67,900	2020–21	13,25,774
2006–07	10,04,650	2021–22	14,00,158
2007–08	11,27,650		

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयरन ओर क्षमता–4.50 मिलियन टन प्रतिवर्ष, हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 19/03/2021 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/03/2024 तक वैध है।

- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान एलांग विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के ज्ञापन क्रमांक RPR/BALOD/IRON ORE/1374/RMP/2022-23 दिनांक 31/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **लीज संबंधी विवरण** –

- पूर्व में मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील प्राईवेट लिमिटेड (भिलाई स्टील प्रोजेक्ट), भिलाई के पक्ष में मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 22/04/1960 द्वारा 30 वर्ष अर्थात दिनांक 01/06/1958 से दिनांक 31/05/1988 की अवधि के लिए ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़ के कुल रकबा 720 एकड़ (291.498 हेक्टेयर) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनि पट्टा स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात् मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई के पक्ष में 241.76 हेक्टेयर (आवेदित क्षेत्र में से 120 हेक्टेयर राजस्व भूमि, 121.76 हेक्टेयर क्षेत्र वनभूमि है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन विभाग द्वारा सिर्फ 121.76 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिपट्टा नवीनीकरण की अनुमति दी गई है।) मध्यप्रदेश शासन के आदेश कमांक 3–119/88/12/3/1/5 भोपाल, दिनांक 05/08/1993 द्वारा 10 वर्ष हेतु खनिपट्टा का प्रथम नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसकी अवधि दिनांक 01/06/1988 से 31/05/1998 तक थी। द्वितीय नवीनीकरण मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 04/03/1999 द्वारा 5 वर्ष अर्थात दिनांक 01/06/1998 से दिनांक 27/04/2003 की अवधि के लिए विस्तारित की गई थी। तृतीय नवीनीकरण छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 03/01/2005 एवं दिनांक 15/04/2005 द्वारा 20 वर्षो अर्थात दिनांक 28/04/2003 से दिनांक 27/04/2023 की अवधि के लिए कुल रकबा 241.76 हेक्टेयर में से 220.42 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए विस्तारित की गई।

- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–21/2022/12 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा 20 वर्ष के लिए यथा दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि हेतु खनिपट्टा विस्तारित किया गया है।

5. **फॉरेस्ट क्लायरेंस संबंधी विवरण** – भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 28/04/1993 द्वारा जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और उपर्युक्त सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर, केंद्र सरकार 121.76 हेक्टेयर के डायवर्जन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत अपनी मंजूरी देती है। जिला दुर्ग में लौह अयस्क के खनन के लिए भिलाई स्टील प्लांट को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर वन भूमि का आवंटन"** होना बताया गया है। वन विभाग की अनापत्ति 10 वर्षो अर्थात दिनांक 28/04/1993 से दिनांक 27/04/2003 तक जारी की गई थी तत्पश्चात् वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रथम नवीनीकरण भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 28/04/1993 द्वारा जारी पत्र 06/04/2004 द्वारा जारी पत्र अनुसार **"राज्य सरकार के प्रस्ताव पर गहन**

विचारोपरान्त एवं उपरोक्त सलाहकार समिति की अनुशंसाओं के आधार पर। केंद्र सरकार इसके द्वारा भिलाई स्टील प्लांट के पक्ष में पंडरी दल्ली राजहरा हिल्स खदानों के लिए पहले से ही टूटी हुई 100.76 हेक्टेयर वन भूमि पर खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत अपनी मंजूरी देती है। जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन" दिनांक 28/04/1993 से 27/04/2023 तक जारी की गई थी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन संरक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 01/04/2015 के अनुसार **"खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के नियम 8(अ) के उपनियम 1 में निर्दिष्ट खनिजों के लिए व्यपवर्तित वन भूमि की अवधि के विस्तार की वैधता खनिपट्टे की लीज अवधि के सह–मियादी (coterminous) होगी।"** समिति का मत है कि विस्तारित खनिपट्टा अवधि दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम जमरूवा 700 मीटर एवं रेल्वे स्टेशन दल्ली राजहरा 1.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.24 कि.मी. दूर है। कुसुम नाला 500 मीटर, तांदुला नदी 2.5 कि.मी., राजहरा बांध 1.6 कि.मी., बोरीडीह बांध 6.7 कि.मी. एवं जमरूवा टैंक 300 मीटर दूर है।
7. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. लीज क्षेत्र के बफर जोन के अंतर्गत आरक्षित वन पिचाकेट्टा, राजोबिडीह, उनोचापानी, मगर्धा जबकसा, नाघुर एवं संरक्षित वन दल्ली, लिमोडीह, मारडेल, रनवाही है। समिति का मत है कि वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 35.57 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 20.17 मिलियन टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 16.14 हेक्टेयर है। ओपन पिट माईनिंग विथ सॉवेल एण्ड डम्पर/टिपर कॉम्बिनेशन फुल्ली मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। पहाड़ी सतह से उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई राजहरा क्षेत्र में लगभग 152 मीटर एवं पश्चिम कोकन में लगभग 41 मीटर है। बेंच की अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। डिप होल लार्ज डाया ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

Year	ROM Production (Tonnes)	Waste (OB) in Tonne
2023-24	21,40,000	51,44,018
2024-25	21,40,000	51,47,364
2025-26	21,40,000	52,89,231
2026-27	21,70,000	54,15,508
2027-28	35,00,000	91,00,000

10. **वेस्ट डम्प प्रबंधन योजना** :–

Dump Area	Present			Conceptual		
	Quantity	Height in meter	Area in Ha.	Quantity	Height in meter	Area in Ha.
Chikali	26.0 MT	82	36.65	77.0 MT	105	46.66
Kokan West	1.57 MT	18	3.80	-	-	3.80

11. **जल आपूर्ति** – वर्तमान में परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 1,166 घनमीटर प्रतिदिन है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु आवश्यक जल की कुल मात्रा 3,241 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान स्थिति तक कुल 31.05 हेक्टेयर में लगभग 50,325 नग पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें से लगभग 40,347 नग पौधें जीवित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2023–24 में 5 हेक्टेयर में लगभग 12,500 नग पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले प्रस्तावित पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2015 से मई, 2015 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	16	39	60
PM_{10}	37	86	100
SO_2	8.2	22.6	80
NO_2	10.3	28.3	80

    iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

    iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	43.4	78.9	75
Night L_{eq}	32.5	67.4	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। परिवेशीय ध्वनि स्तर का मान क्रशिंग प्लांट के समीप (स्टेशन–6) में CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से अधिक 78.9 डीबी(ए) है। समिति का मत है कि उक्त स्टेशन के समीप ध्वनि स्तर को CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से कम रखे जाने हेतु अपनाये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

vi. मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2015 से मई, 2015 के मध्य किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में उल्लेखित "(iii) The baseline data and Public Hearing shall not be more than three years old at the time of submission of application for consideration of EC. (iv.) At the time of application for EC, in case baseline data is older than three years, but less than five years old in the case of River valley and HEP Projects, or less than four years old in the case of other projects, the same shall be considered, subject to the condition that it is revalidated with one season fresh non-monsoon data collected after three years of the initial baseline data." के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

vii. पूर्व में बेसलाईन डाटा एकत्रित करने का कार्य मार्च, 2015 से मई, 2015 के मध्य किया गया था। उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार वर्तमान में, पूर्व एकत्रित बेसलाईन डाटा की वैधता मई, 2018 तक की है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वैधता समाप्ति उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

15. समिति का मत है कि परिवेशीय वायु प्रभाव हेतु जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 27/10/2017 प्रातः 11:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत हाथकरघा, वस्त्र बुनाई कार्यशाला के सामने, ग्राम–साल्हे, विकासखण्ड–डौण्डी, जिला–बालोद में संपन्न हुई।

17. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. द्वारा दिनांक 17/04/2020 को निम्न आदेश जारी किया गया हैः–

"Be that as it may, the fact remains that the petitioner has now moved the application for grant of environmental clearance certificate which is under consideration before the respondent No. 2. Foreseeing the fact the present mining lease that the petitioner has, expires on 27.04.2023 and also taking note of the fact that the respondents do not dispute or take a stand that the petitioner is not entitled for grant of environmental clearance certificate, ends of justice would meet, if the Writ Petition as of now is kept pending with a direction to the respondent No. 2 to ensure that the application for grant of environmental clearance is considered on priority basis taking into consideration the short period of time left for the mining lease period of the petitioner.

Accordingly, the respondent No. 2 is expected to take a decision before the expiry of period of mining lease i.e. on 27.04.2023. The decision of the respondent no. 2 would enable the petitioner to purse their application for renewal of the mining lease.

The Respondent No. 2 would also consider the far reaching ramifications as a consequence of the environmental clearance not being granted. The Respondent No. 2 would also consider the fact that the petitioner is a "Maharatna" Company. Subject ofcourse the petitioner meeting all the other requirements under the Rules for obtaining the E.C. certificate, except the fact of the petitioner not having E.C. certificate for the past years, the effect of which would be subject to the outcome of the present writ Petition.

20. **डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही किये जाने का अभिमत है:–**

i. वित्तीय वर्ष 1993–94 से वित्तीय वर्ष 2005–06 तक तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 से अद्यतन स्थिति तक परियोजना प्रस्तावक द्वारा कंपनी की आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) के अनुसार वार्षिक टर्नओवर की जानकारी प्रस्तुत किया जाए। (IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL ORIGINAL JURISDICTION WRIT PETITION (CIVIL) NO. 114 OF 2014 ds Page 96 of 114)

ii. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

iii. सी.ई.आर. की गणना हेतु परियोजना की कुल लागत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए।

iv. जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

v. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले प्रस्तावित पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

vi. भारी वाहनों/मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

vii. परिवेशीय वायु प्रभाव हेतु जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

viii. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।

ix. गारलेण्ड ड्रेन, चेक डेम एवं जल निकास के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

x. Endangered flora & Fauna Biodiversity conservation plan प्रस्तुत किया जाए।

xi. Ground Vibrational Study Report की प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही Frequency of Blasting की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।

xii. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

xiii. क्रशिंग प्लांट के समीप (स्टेशन–6) में ध्वनि स्तर को CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से कम रखे जाने हेतु अपनाये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

xiv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार The baseline data and Public Hearing की अवधि की वैधता समाप्ति उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

xv. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 20 वर्ष के लिए यथा दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि के लिए शर्तों के अधीन खनिपट्टा विस्तारित किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् विस्तारित उत्पादन क्षमता एवं विस्तारित खनिपट्टा अवधि दिनांक 27/04/2043 तक के लिए वन भूमि के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) प्रस्तुत किया जाए।

xvi. वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से कराकर प्रस्तुत किया जाए।

xvii. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (ईको पार्क हेतु डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

21. **समिति के सदस्यों का निम्नानुसार अभिमत है:–**

i. **श्री डी. राहुल वेंकट**, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि अध्यक्ष महोदय के अभिमत बिन्दु क्रमांक v, x, xv एवं xvi को जब पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने हेतु विचार किया जाएगा तब सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की जा सकती है तथा अभिमत

बिन्दु क्रमांक xiv के परिपेक्ष्य में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी मंगाये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के अभिमत के अन्य बिन्दुओं पर सहमति है।

ii. **श्री एन.के. चन्द्राकर**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि अध्यक्ष महोदय के अभिमत में से बिन्दु क्रमांक i के परिपेक्ष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संदर्भ में यह जानकारी मंगाया जाना आवश्यक नहीं है।

बिन्दु क्रमांक v के परिपेक्ष्य में लीज क्षेत्र के चारों और 7.5 मीटर के पट्टी में वृक्षारोपण हो चुका है। जिसका उल्लेख माईन प्लान में किया जा चुका है।

बिन्दु क्रमांक vi के परिपेक्ष्य में लौह अयस्क परिवहन खनन पट्टे के ही अंदर खनन पश्चात् लीज क्षेत्र के अंदर से ही रेलवे रैक द्वारा डिस्पैच किया जाता है। अतः इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

बिन्दु क्रमांक vii के परिपेक्ष्य में जी. एल. सी. की गणना ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित है, जो निर्धारित मापदण्ड के भीतर है।

बिन्दु क्रमांक x के परिपेक्ष्य में पलोरा एवं फौना का अध्ययन वन्य प्राणी संरक्षण योजना यदि प्रस्तुत करना आवश्यक हो तो पर्यावरण स्वीकृति के शर्तों में समाहित करते हुए 6 माह या 1 वर्ष समय दिया जाकर सस्कृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

बिन्दु क्रमांक xiv के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 1734/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27/04/2023 के तारतम्य में दिए गये आवेदन से संबंधित है। जिसमें समिति को इस प्रकरण न भारत सरकार द्वारा दिनांक 26/03/2018 तक पूर्ण किये गये स्तर के बाद से मूल्यांकन करना है। अतः इस प्रकरण में जिसमें लोक सुनवाई हो चुकी है। अतः अब समिति को ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा 7 के अनुसार मूल्याकंन करना है। पुनः लोक सुनवाई एवं बेस लाईन डाटा कराने के बिंदु को समाहित करने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना माना जाएगा।

ऑफिस मेमोरेडम दिनांक 08/06/2022 में स्पष्ट है कि बेस लाईन डाटा एवं लोक सुनवाई की तिथि, पर्यावरण स्वीकृति आवेदन की तिथि से तीन वर्ष पुरानी नहीं होनी चाहिए इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति आवेदन की तिथि वर्ष 2017 है एवं लोक सुनवाई तिथि वर्ष 2017 है। वर्तमान में किया गया आवेदन केवल एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. के ऑफलाईन से ऑनलाईन प्रक्रिया में जाने से हुई तकनीकी परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। अतः इस प्रकरण में जिस समय (अतः वर्ष 2017) पर्यावरण स्वीकृति के लिए ऑफलाईन आवेदन किया गया उस समय बेस लाईन डाटा एवं लोक सुनवाई की तिथि 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं थी। साथ ही यह प्रकरण, जैसा कि पूर्व में इंगित है माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय के निर्देश से संबंधित है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के प्रकरण को भारत सरकार द्वारा दिनांक 26/03/2018 तक पूर्ण किये गये स्तर के बाद से मूल्याकन करना है, जिसमें लोक सुनवाई एवं बेस लाईन डाटा पूर्ण की जा चुकी है।

बिन्दु क्रमांक xv के परिपेक्ष्य में विस्तारित खनि पट्टा अवधि तक के लिए फारेस्ट क्लियरेश प्रस्तुत करने के संदर्भ में शपथ पत्र के आधार पर सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा करना उचित होगा।

बिन्दु क्रमांक xvi के परिपेक्ष्य में वन्य प्राणी संरक्षण योजना को पी.सी.सी.एफ. से अनुमोदन करवाकर प्रस्तुत करने के संदर्भ में शपथ पत्र के आधार पर सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा करना उचित होगा।

उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के अभिमत के अन्य बिन्दुओं पर सहमति है।

iii. **डॉ. मनोज कुमार चोपकर**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि अध्यक्ष महोदय के अभिमत बिन्दु क्रमांक xiv के परिपेक्ष्य में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी मंगाये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के प्रथम वर्ष में अतिरिक्त ई.आई.ए. स्टडी कराया जाए। इससे सतत् पर्यावरणीय अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित होगी।

उपरोक्त तथ्यों को समाहित करते हुये बिन्दु क्रमांक xv एवं xvi को जब पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने हेतु विचार किया जाएगा तब सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की जा सकती है।

उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के अभिमत के अन्य बिन्दुओं पर सहमति है।

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय से सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी., छ.ग. एवं सदस्यों, एस.ई.ए.सी., छ.ग. के अभिमत में भिन्नता होने के कारण बहुमत के आधार पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. बिन्दु क्रमांक 20 के (i) से (xvii) तक की चाही गई जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रकरण को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. के समक्ष चर्चा हेतु प्रेषित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष, WPC No. 1734 of 2018 विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण में समय–समय पर जारी आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रकरण पर परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी), ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1081बी)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43985/2017, दिनांक 27/12/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43985/2017, दिनांक 19/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 471, 472 एवं 473/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.295 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 406वीं बैठक दिनांक 09/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शंकर ज्ञानचंदानी, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्रीमती पूनम मंगलम एवं श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर–श्री प्रशांत बोहरा) के नाम पर टी.ओ.आर. जारी किया गया है। वर्तमान में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज का हस्तांतरण मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम पर किये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1896/ख.लि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/07/2020 द्वारा उत्खनिपट्टा के अंतरण अनुबंध बाबत् पत्र जारी किया गया है।

   साथ ही संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3602/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र. 05/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 05/07/2021 द्वारा माडिफाईड क्वारी प्लान (क्वॉरी कम इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) को भी **मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी)** के नाम पर जारी किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु समिति के समक्ष अनुरोध किया गया।

2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

3. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 471, 472 एवं 473/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.295 हेक्टेयर, क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 261/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 29/01/2020 के अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)
2007	–	2014	1,525
2008	555	2015	10,177
2009	516	2016	20,246
2010	276	2017	6,324
2011	3,715	2018	19,895
2012	662	2019	12,249
2013	1,702		

4. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बल्देवपुर का दिनांक 07/09/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, विथ क्वॉरी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक, कार्यालय कलेक्टर (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/तीन–6/ख.लि./2016/534 रायपुर, दिनांक 01/03/2016 द्वारा (मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर–श्री प्रशांत बोहरा) के नाम पर) अनुमोदित है। तत्पश्चात् माडिफाईड क्वारी प्लान (क्वॉरी कम इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक

3602/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 05/07/2021 द्वारा (मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम पर) अनुमोदित है।

6. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2768/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 31/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 4.818 हेक्टेयर है।

7. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2768/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 31/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे एवं अन्य कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

8. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। पूर्व में लीज श्री प्र"ांत बोहरा के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 31/07/2020 को श्री शंकरलाल ज्ञानचंदानी के नाम पर किया गया है। लीज डीड 05 वर्षो अर्थात् दिनांक 15/12/2007 से 14/12/2012 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज का नवीनीकरण 05 वर्षो अर्थात् दिनांक 15/12/2012 से 14/12/2017 तक की अवधि हेतु की गई थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षो की, दिनांक 15/12/2017 से 23/12/2035 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि/4230 खैरागढ़, दिनांक 13/09/2007 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कलकसा 550 मीटर एवं अस्पताल बल्देवपुर 1.5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। तालाब 2.2 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 9,71,250 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,23,137 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,20,682 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,769 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,000 घनमीटर है, इस ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया

जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,500	षष्टम	12,500
द्वितीय	12,500	सप्तम	12,500
तृतीय	12,500	अष्ठम	12,500
चर्तुथ	12,500	नवम	12,500
पंचम	12,500	दशम	12,500

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 950 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 19,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,17,400 रूपये, खाद के लिए राशि 7,140 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,13,200 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,56,740 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 6,88,560 रूपये आगामी चार वर्षो हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,769 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 243 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 247.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक एवं दक्षिण दिशा में 645 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूम्बर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (μg/m^3) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (μg/m^3)**	**Maximum (μg/m^3)**	**CPCB Standard (μg/m^3)**
$PM_{2.5}$	26.10	44.77	60
PM_{10}	47.22	67.15	100
SO_2	9.03	14.68	80
NO_2	11.31	20.33	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47.89	54.87	75
Night L_{eq}	32.1	46.21	70

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 9 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 57 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.01 to 0.2) के भीतर है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के प्रांगण में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान में ब्लास्टिंग से पत्थर दूर खेतों में जाकर गिरते है एवं मकानों में दरार आ चुका है। हैवी ब्लास्टिंग होने से पास के स्कूल में सूचना देने के लिए मुंशी आते है एवं नजदीक स्थित क्रशर को बंद किया जाना चाहिए।

ii. खदान अत्यधिक गहरा हो चुका है। गर्मी के दिनों में 5–7 जानवर गिर चुके है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही लीज क्षेत्र के चारों ओर फेन्सिंग किया जाना चाहिए।

iii. गांव कलकसा से बलदेवपुर जाने वाली सड़क बहुत जर्जर हो चुकी है, जिससे बच्चों को स्कूल आने–जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. अनुभवी कॉन्ट्रेक्टर की निगरानी में कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा।

ii. खदान के चारों ओर कंटीले तारों से फेंसिंग किया जाएगा, जिससे गांव के मवेशी खदान के अंदर नहीं जा पायेंगे।

iii. खदान से निकलने वाले वाहनों के कारण जो सड़क में गढ्ढे हो गये है, उसकी समय–समय में मरम्मत की जाएगी।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

21. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 6 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
3.7 कि.मी. मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	49,340	4,940	4,940	4,940	4,940
	फेंसिंग हेतु राशि	34,76,700	–	–	–	–
	खाद, सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	5,94,072	3,41,812	3,41,812	3,41,812	3,41,812
कुल राशि		**41,20,112**	**3,46,752**	**3,46,752**	**3,46,752**	**3,46,752**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
300 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (200 नग)	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	4,000	400	400	400	400
	फेंसिंग हेतु	2,96,000	–	–	–	–

वृक्षारोपण हेतु	राशि					
	खाद, सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	2,02,700	1,68,470	1,68,470	1,68,470	1,68,470
कुल राशि		**5,02,700**	**1,68,870**	**1,68,870**	**1,68,870**	**1,68,870**

22. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

23. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
50	2%	1.0	Following activities at nearby, **Village-Kalkasa**	
			Pavitra Van	10.78
			Total	**10.78**

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 980 नग पौधों के लिए राशि 19,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 67,500 रूपये, खाद के लिए राशि 7,350 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,41,680 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,36,130 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,89,112 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बल्देवपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 1.22 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओ.आर हेतु किये गये आवेदन के साथ प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 10 मीटर की गहराई तक उत्खनन करते हुए वर्षवार उत्खनन के विवरण में क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख है। वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत मॉडिफाईड माईनिंग प्लान में 30 मीटर की गहराई तक उत्खनन करते हुए वर्षवार उत्खनन के विवरण में क्षमता – 12,500 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख होना पाया गया है। उक्त कारणों से रिजर्व की गणना में भिन्नता परिलक्षित हो रही है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

26. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन दिनांक 29/01/2020 के अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन के विवरण की जानकारी में वर्षवार उत्खनन का इकाई घनमीटर में है, जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति में क्षमता 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी किया गया है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रिजर्व की गणना में भिन्नता परिलक्षित होने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति तक उत्खनित खनिज की मात्रा खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान दिनांक 05/07/2021 अनुसार चूना पत्थर उत्खनन क्षमता अधिकतम 12,500 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में चूना पत्थर उत्खनन क्षमता 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि चूना पत्थर उत्खनन क्षमता अधिकतम 12,500 टन प्रतिवर्ष हेतु ही विचार किया जाएगा।
2. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 261/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 29/01/2020 द्वारा उत्पादन आंकड़ों की जानकारी में टन के स्थान पर घनमीटर का उल्लेख हो गया था। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1340/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव,

दिनांक 27/06/2022 के अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2007–08	30	2015–16	14,279
2008–09	841	2016–17	14,489
2009–10	288	2017–18	6,324
2010–11	2,768	2018–19	19,895
2011–12	1,387	2019–20	10,599
2012–13	1,435	2020–21	3,200
2013–14	1,720	2021–22	6,230
2014–15	2,020		

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसारः–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate

   a) Damage Assessment

   b) Remedial Plan and

   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarentee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

4. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुर्नवास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

6. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों को करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यो हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

9. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।

10. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किये जाने के संबंध परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि हमारे द्वारा अवैध उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। उत्खनन का कार्य खनिज विभाग से अनुमति तथा रॉयल्टी जमा करके ही खनन कार्य किया गया है तथा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। इस कारण से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना नहीं की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुर्नवास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यो हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

8. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि की वास्तविक गणना करने हेतु जुलाई 2020 से अब तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(द) समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022:

समिति द्वारा बैठक दिनांक 28/11/2022 को क्लस्टर के प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उन्हें पूर्व में निर्देशित जानकारी/दस्तावेज एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर विचार कर, उन्हें निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–कलकसा) को मिलाकर इस क्लस्टर हेतु कुल खदानों का क्षेत्रफल 14.171 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022 के परिपेक्ष्य में चाही गई वांछित जानकारियों/ दस्तावेजों/ अभिलेखों को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) को ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 471, 472 एवं 473/2(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.295 हेक्टेयर, क्षमता– 12.500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/01/2023 को संपन्न 137वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022 के परिपेक्ष्य में चाही गई वांछित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों को प्रस्तुत किये जाने के

उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

4. The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.

5. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

6. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.

7. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/02/2023 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत किये गये है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 142वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण है। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के माध्यम से चाही गई जानकारी के संबंध में समाधानाकारक कार्यवाही करते हुए पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/06/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा

जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/06/2023 को प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(इ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

   पूर्व में एस.ई.ए.सी., छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 23/01/2023 द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया गया है। जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 अनुसारः–

   A. Proposals involving expansion of existing EC

   i. At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से तीन माह के भीतर प्राप्त नहीं होने की दशा में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाना आवश्यक है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–खैरागढ–छुईखदान–गण्डई के ज्ञापन क्रमांक/90/ख.लि.02/2023, दिनांक 06/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (टन)
जुलाई 2020	निरंक
अगस्त 2020	निरंक
सितम्बर 2020	निरंक
अक्टूबर 2020	निरंक
नवम्बर 2020	निरंक
दिसम्बर 2020	800
जनवरी 2021	700

फरवरी 2021	900
मार्च 2021	800
अप्रैल 2021	निरंक
मई 2021	310
जून 2021	380
जुलाई 2021	280
अगस्त 2021	520
सितम्बर 2021	470
अक्टूबर 2021	570
नवम्बर 2021	480
दिसम्बर 2021	880
जनवरी 2022	640
फरवरी 2022	1,040
मार्च 2022	660
कुल	**9,430**

3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है:–

EC=PIxNxRxSxLF
Where,
EC - Environmental compensation in Rs.
PI - Pollution Index of Industrial Sector
N - Number of days of voilation took place
R - a Factor in Rs. For EC
S - Factor for scale of operation
LF - Location Factor

Environment Compensation = PIxNxRxLFxS

No of days(N)= (250 x Violation Production) / Proposed Production in Mining Plan

= (250 x 9,430) /25,000 = 94 days

Environment Compensation = 80x94x100x0.5x0.5 = Rs. 1,88,000/-

II. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को संपन्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आंकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा राशि रुपये 1,89,000 की Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

III. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार "updated action plans be got

prepared and executed by the Chief Secretaries of all States/UTs. The recovered compensation may be credited to a separate account under the Chief Secretary and used as per said plans only. This will apply to compensation deposited with the State PCBs/PCCs and also other regulators such as SEIAAs, Water Resource Authorities etc." का उल्लेख है।

समिति का मत है कि उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 1,89,000 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है। ताकि आदेशानुसार उक्त राशि को मुख्य सचिव के खाता में जमा कराया जा सके।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों के लिए अर्थदण्ड की गणना हेतु निम्नानुसार प्रावधान है:–

Penalty provisions for violation cases and applications:

Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा अर्थदण्ड हेतु गणना कर निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत किया गया है:–

I. आवेदित खदान का कुल लागत 50 लाख रूपये है, उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार कुल लागत का 1 प्रतिशत 50,000 रूपये होता है।

II. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 44(AB) के अनुसार 10 करोड़ रूपये से अधिक टर्नओवर के व्यवसाय को ऑडिट कराया जाना आवश्यक है। आवेदित खदान का कुल टर्नओवर 25 लाख रूपये है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 44(AB) की ऑडिट सीमा से कम है। अतः ऑडिट कराये जाने का प्रावधान नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन अवधि के दौरान 9,430 टन उत्खनन किया गया है, प्रति टन में 140 रूपये का टर्नओवर होना बताया गया है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा 9,430 x 140 x 0.25% = 3,300.5 रूपये की गणना प्रस्तुत की गई है।

III. इस प्रकार कुल अर्थदण्ड राशि रूपये 53,300.5/– की गणना कर प्रस्तुत किया गया है।

समिति का मत है कि उक्त अर्थदण्ड राशि को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है।

5. वृक्षारोपण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि वर्तमान में खदान बंद है तथा इस आशय का वचन दिया गया है कि खदान प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. पूर्व में समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। उक्त बैठक में निहित की गई शर्ते यथावत् रहेगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को भी पत्र लेख किया जाए।

3. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 1,89,000 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवश्यक रूप से जमा किया जाए। साथ ही उक्त क्षतिपूर्ति राशि परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त होने के उपरांत माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के आदेशानुसार मुख्य सचिव के खाता में जमा कराये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को पत्र लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

4. अर्थदण्ड राशि रूपये 53,300.5/– को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1587, दिनांक 04/09/2023 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कुछ शर्तों का पालन किया जाना एवं कुछ शर्तों में खदान प्रबंधन द्वारा मान्य एवं सहमत होना बताया गया है। प्राधिकरण का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही को अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रस्तुत किया आवश्यक होगा।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा ज्ञापन क्रमांक 5552, दिनांक 10/10/2023 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 1,89,000/– दिनांक 16/09/2023 को प्राप्त किये जाने की सूचना दी गई है। प्राधिकरण द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि को माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के आदेशानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित खाते में जमा कराये जाने का निर्णय लिया गया।

3. अर्थदण्ड राशि रूपये 53,300.5/– को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में दिनांक 16/09/2023 को प्राप्त किया गया है, जिसकी पुष्टि लेखा शाखा के शाखा अधिकारी द्वारा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये पूर्व में समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति निम्न शर्त के अधीन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया:–

   "पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही को अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रस्तुत किया जाएगा।"

   साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 1,89,000/– को माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के आदेशानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित खाते में जमा कराये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

6. मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनिंदर सिंह गरचा), ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1081ए)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42860/ 2019, दिनांक 18/10/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42860/ 2019, दिनांक 09/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक – 106/2 एवं 3, कुल क्षेत्रफल–0.608 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–14,625 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनिंदर सिंह गरचा, प्रोपराईटर एवं मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का

प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 106/2 एवं 106/3, कुल क्षेत्रफल–0.608 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–14,625 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1341/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2022 के अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
अगस्त 2009 से दिसंबर 2009	551	जनवरी 2017 से दिसंबर 2017	570
जनवरी 2010 से दिसंबर 2010	2,057	जनवरी 2018 से दिसंबर 2018	649
जनवरी 2011 से दिसंबर 2011	2,130	जनवरी 2019 से दिसंबर 2019	1,339
जनवरी 2012 से दिसंबर 2012	1,850	जनवरी 2020 से जून 2020	7,700
जनवरी 2013 से दिसंबर 2013	6,050	जुलाई 2020 से दिसंबर 2020	निल
जनवरी 2014 से अगस्त 2014	17,600	जनवरी 2021 से जून 2021	625
सितंबर 2014 से सितंबर 2016	निरंक	जुलाई 2021 से दिसंबर 2021	निरंक
अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016	150	जनवरी 2022 से मार्च 2022	3,800

v. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं

एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसारः–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है।

समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 22/02/2003 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो 10 वर्ष हेतु जारी की गई थी। अतः समिति का मत है कि ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना अथवा स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाइड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्वायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो कि संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 843/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1342/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 खदानें, क्षेत्रफल 38.318 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवष्यक है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज श्री मनिंदर सिंह गरचा के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षो अर्थात् दिनांक 18/08/2009 से 17/08/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षो अर्थात् दिनांक 18/08/2014 से 17/08/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्रं. 10–2/2019/13198 राजनांदगांव, दिनांक 24/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र में ग्राम चवेली का उल्लेख है। अतः ग्राम डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव तथा खसरा नम्बर सहित आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ठेलकाडीह 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–ठेलकाडीह 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल ठेलकाडीह 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.6 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,64,800 टन, माईनेबल रिजर्व 1,18,822 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 81,583 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,082 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,540 घनमीटर है, जिसे पूर्व में ही उत्खनित कर लिया गया है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,500	षष्टम	8,500
द्वितीय	8,500	सप्तम	8,500
तृतीय	8,500	अष्ठम	8,500
चतुर्थ	8,500	नवम	8,500
पंचम	8,500	दशम	8,500

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 328 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (328 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	24,928	2,508	2,508	2,508	2,508
	फेंसिंग हेतु राशि	41,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	2,460	240	240	240	240
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	2,46,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 11,89,380		**3,14,388**	**2,18,748**	**2,18,748**	**2,18,748**	**2,18,748**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,082 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्वी दिषा में 130 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक, पष्चिमी दिषा में 630 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, उत्तरी दिषा में 130.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक एवं दक्षिणी दिषा में 472.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित संषोधित माईनिंग प्लान में किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रूपये 1,01,000/– लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2022 द्वारा अर्थदण्ड राशि रूपये 1,01,000/– खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना आव"यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आव"यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत

12 स्थानों पर परिवेषीय वायु गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 12 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	21.39	40.45	60
PM_{10}	42.65	65.33	100
SO_2	5.09	9.87	80
NO_2	9.48	15.95	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	43.2	61.1	75
Night L_{eq}	37.9	54.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 73 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.06 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 79 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.07 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 17/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम – डुमरडीहकला, तहसील व जिला – राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 31 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 17 खदानों द्वारा सामूहिक रुप से जनसुनवाई कराया गया है। **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैंः–**

i. खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे डाल दिया जाता है एवं 7 एकड़ भूमि पर मिट्टी डाल दिया गया है। गांव में मवेशियों के लिये चारा नहीं बचता है।

ii. हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरार आ जाती है। ब्लास्टिंग के समय चवेली में चलना दुर्भर होता है, ब्लास्टिंग करने के दौरान सड़क बंद कर दिया जाता है।

iii. खदान में काम करने वाले श्रमिकों को जरूरत की सुविधाऐं प्रदान नहीं की जाती है। क्रशर सड़क से लगा हुआ है, उसके चलने के कारण कई एक्सीडेंट हो चुके है, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

iv. गांव के पास शासकीय भूमि का अवैध रूप से उत्खनन किया जाता है। वृक्षारोपण तथा जल छिड़काव का कार्य भी नहीं किया जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे नहीं डाला जाएगा, उसे खदान के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे ग्रामीणों को कम नुकसान या परेशानी नहीं होगी।

iii. खदान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

iv. माईनिंग प्लान के अनुसार ही उत्खनन कार्य किया जाएगा। खदान के बाउण्ड्री तथा हॉल रोड में वृक्षारोपण का कार्य निश्चित रूप से किया जाएगा। वृक्षारोपण एवं धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए सड़क पर दो से तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 31 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
4.7 कि.मी. पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (3,133 नग)	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	2,38,108	23,788	23,788	23,788	23,788
	फेंसिंग हेतु राशि	25,06,400	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	27,000	3,000	3,000	3,000	3,000

वृक्षारोपण हेतु	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	16,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000
कुल राशि = 88,78,660		**44,51,508**	**11,06,788**	**11,06,788**	**11,06,788**	**11,06,788**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगीः–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
123 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (82 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	6,232	608	608	608	608
	फेंसिंग हेतु राशि	65,600	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	600	60	60	60	60
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	32,745	27,745	27,745	27,745	27,745
कुल राशि = 2,18,829		**1,05,177**	**28,413**	**28,413**	**28,413**	**28,413**

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 31 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः 17 खदानें ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कार्य किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त 17 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से सी.ई.आर. के अंतर्गत (1) गांव के पहुंच मार्ग में वृक्षारोपण (2) 'मषान घाट के चारों तरफ 10 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण (3) बड़े तालाब पर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण कार्य किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत डुमरडीहकला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (क्रमषः खसरा क्रमांक 802, 818/2, 804, क्षेत्रफल 0.635 हेक्टेयर, 0.324 हेक्टेयर, 0.267 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है

तथा सी.ई.आर. के अंतर्गत 17 खदानों हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

(1) ठेलकाडीह सरहद से ग्राम डुमरडीकला के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ (कुल लम्बाई 1.4 कि.मी.) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए 76,000 राशि रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 7,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,16,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 12,99,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,97,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(2) शमशान घाट के चारों तरफ 10 मीटर की चौड़ी पट्टी (क्षेत्रफल 3,240 वर्गमीटर) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 72 नग पौधों के लिए राशि 8,352 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 67,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,980 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,23,332 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,68,180 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(3) बड़े तालाब (क्षेत्रफल 9,020 वर्गमीटर) पर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 11,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,750 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,66,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,60,350 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,69,740 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

23. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.5	Following activities at nearby, **Village-Dumardihkala**	
			Plantation with fencing in periphery of village pond area	11.91
			Total	**11.91**

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त कार्यों में से सी.ई.आर. के अंतर्गत बडे तालाब (क्षेत्रफल 7,500 वर्गमीटर) पर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 11,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,750 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 37,477 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,31,827 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 95,648 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही शपथ पत्र में इस आशय का भी उल्लेख किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. विगत वर्ष (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य) में किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. ग्राम डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव तथा खसरा नम्बर सहित आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव कार्य में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।
6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाए।
9. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यो हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

11. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाए।

12. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

13. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. विगत वर्ष (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य) में किये गये उत्खनन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह पूर्व से संचालित खदान है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता समाप्ति के पश्चात् खनिज विभाग के आदेशानुसार ही खनन कार्य किया गया है।

   समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of

Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसारः–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarentee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 22/02/2003 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है के संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति

द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाणित कराकर जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

5. कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्रं. 10–2/2019/5095 राजनांदगांव, दिनांक 04/07/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

6. लीज क्षेत्र से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 343, रकबा 0.518 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. पूर्व में किये गए वृक्षारोपण की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये गए है। पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे का नामकरण नहीं किया गया है साथ ही इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खदान प्रारंभ होने उपरांत पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे का नामकरण कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाएगा।

9. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यो हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

11. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

12. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये जवाब अनुसार कार्य किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए, जिससे कि खदान का प्रश्नाधीन अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जा सके।
5. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(स) समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022:

समिति द्वारा बैठक दिनांक 28/11/2022 को क्लस्टर के प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उन्हें पूर्व में निर्देशित जानकारी/दस्तावेज एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर विचार कर, उन्हें निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया

जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–डुमरडीहकला) को मिलाकर इस क्लस्टर हेतु कुल खदानों का क्षेत्रफल 41.696 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 के माध्यम से चाही गई वांछित जानकारियों/ दस्तावेजों/ अभिलेखों को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनिंदर सिंह गरचा) की ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 106/2 एवं 3 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.608 हेक्टेयर, क्षमता–8,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/01/2023 को संपन्न 137वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती

का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनिंदर सिंह गरचा) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 के माध्यम से चाही गई वांछित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

4. The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.

5. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

6. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.

7. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/02/2023 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत किये गये है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 142वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण है। **प्राधिकरण द्वारा**

तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के माध्यम से चाही गई जानकारी के संबंध में समाधानाकारक कार्यवाही करते हुए पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/06/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/06/2023 को प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(द) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

   पूर्व में एस.ई.ए.सी., छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 23/01/2023 द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 अनुसारः–

   A. Proposals involving expansion of existing EC

   i. At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से तीन माह के भीतर प्राप्त नहीं होने की दशा में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 22/02/2003 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है:–

EC=PIxNxRxSxLF Where, EC - Environmental compensation in Rs. PI - Pollution Index of Industrial Sector N - Number of days of voilation took place R - a Factor in Rs. For EC S - Factor for scale of operation LF - Location Factor

Environment Compensation = PIxNxRxLFxS

No of days(N)= (250 x Violation Production) / Proposed Production in Mining Plan

= (250 x 4,425) /14,625 = 75.6 = say 76 days

Environment Compensation = 80x76x100x0.5x0.5 = Rs. 1,52,000/-

II. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को संपन्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आंकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा राशि रुपये 1,55,000 की Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

III. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार "updated action plans be got prepared and executed by the Chief Secretaries of all States/UTs. The recovered compensation may be credited to a separate account under the Chief Secretary and used as per said plans only. This will apply to compensation deposited with the State PCBs/PCCs and also other regulators such as SEIAAs, Water Resource Authorities etc." का उल्लेख है।

समिति का मत है कि उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 1,55,000 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है। ताकि आदेशानुसार उक्त राशि को मुख्य सचिव के खाता में जमा कराया जा सके।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों के लिए अर्थदण्ड की गणना हेतु निम्नानुसार प्रावधान है:–

Penalty provisions for violation cases and applications:

Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा अर्थदण्ड हेतु गणना कर निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत किया गया है:–

I. आवेदित खदान का कुल लागत 25 लाख रूपये है, उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार कुल लागत का 1 प्रतिशत 25,000 रूपये होता है।

II. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 44(AB) के अनुसार 10 करोड़ रूपये से अधिक टर्नओवर के व्यवसाय को ऑडिट कराया जाना आवश्यक है। आवेदित खदान का कुल टर्नओवर 25 लाख रूपये है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 44(AB) की ऑडिट सीमा से कम है। अतः ऑडिट कराये जाने का प्रावधान नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन अवधि के दौरान 4,425 टन उत्खनन किया गया है, प्रति टन में 140 रूपये का टर्नओवर होना बताया गया है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा 4,425 x 140 x 0.25% = 1,548.75 रूपये = 1,549 रूपये की गणना प्रस्तुत की गई है।

III. इस प्रकार कुल अर्थदण्ड राशि रूपये 26,549/– की गणना कर प्रस्तुत किया गया है।

समिति का मत है कि उक्त अर्थदण्ड राशि को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा नायब तहसीलदार, राजनांदगांव (घुमका–2) को प्रेषित पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

6. वृक्षारोपण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि वर्तमान में खदान बंद है तथा इस आशय का वचन दिया गया है कि खदान प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. पूर्व में समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। उक्त बैठक में निहित की गई शर्ते यथावत् रहेगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को भी पत्र लेख किया जाए।

3. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 1,55,000 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवश्यक रूप से जमा किया जाए। साथ ही उक्त क्षतिपूर्ति राशि परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त होने के उपरांत माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के

आदेशानुसार मुख्य सचिव के खाता में जमा कराये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को पत्र लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

4. अर्थदण्ड राशि रूपये 26,549/– को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा किया जाए।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाणित कराकर जानकारी प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 896, दिनांक 17/08/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कुछ शर्तों का पालन किया जाना एवं कुछ शर्तों में खदान प्रबंधन द्वारा मान्य एवं सहमत होना बताया गया है। प्राधिकरण का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही को अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रस्तुत किया आवश्यक होगा।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा ज्ञापन क्रमांक 5551, दिनांक 10/10/2023 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 1,55,000/– दिनांक 16/09/2023 को प्राप्त किये जाने की सूचना दी गई है। प्राधिकरण द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि को माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के आदेशानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित खाते में जमा कराये जाने का निर्णय लिया गया।

3. अर्थदण्ड राशि रूपये 26,549/– को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में दिनांक 16/09/2023 को प्राप्त किया गया है, जिसकी पुष्टि लेखा शाखा के शाखा अधिकारी द्वारा की गई है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2751/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये पूर्व में समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति निम्न शर्त के अधीन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया:–

   "पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही को अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रस्तुत किया जाएगा।"

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

3. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 1,55,000/– को माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के आदेशानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित खाते में जमा कराये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमानुसार खदानें कार्य यथावत् जारी रखे जाने के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र पर विचार कर निर्णय लिये जाने बाबत्।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15/05/2023 के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"The representation received from Khaddan Union, District-Rajnandgaon, Chhattisgarh regarding drawing attention and justified cooperation for the loss of economic and revenue due to unnecessary delay by explaining the rules separately in the application submitted by the Environmental Committee (SEAC-CG) for environmental approval on the subject mentioned above. It is kindly requested to refer the representation and provide the status report for further necessary action."

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15/05/2023 द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लेखित खदानों को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी वैधता मार्च 2020 या मार्च 2020 के पूर्व तक की अवधि हेतु थी। सभी परियोजना प्रस्तावकों द्वारा अधिकांशतः उत्खनन का कार्य मार्च, 2022 तक किया गया है।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता समाप्ति के उपरांत भी उत्खनन कार्य किये जाने के कारण उल्लंघन प्रकरण मानते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों को Damage Assessment Plan, Remediation

Plan and Community Augmentation Plan हेतु कार्ययोजना तैयार कर जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक (भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15/05/2023 द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लेखित खदानों) से पत्राचार किया गया है।

3. एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रकरण लंबित नहीं है। चूंकि अधिकांश परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उपरोक्त के परिपेक्ष्य में जानकारी एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रेषित नहीं की गई है। अतः जानकारी के अभाव में परियोजना प्रस्तावकों के समक्ष प्रकरण लंबित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को अवगत कराये जाने हेतु जिला–राजनांदगांव के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों की प्रकरणवार स्थिति की जानकारी एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स लालपुर लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री अखिलेश कुमार सिंह), ग्राम–लालपुर, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 671)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/72320/2018, दिनांक 16/01/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। तत्पश्चात् प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/294839/2022, दिनांक 19/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/430861/2023, दिनांक 31/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–लालपुर, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 274/1 एवं 274/6, कुल क्षेत्रफल–4.479 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर

ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है। तत्पश्चात् एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03 / 04 / 2023 द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) में वैधता वृद्धि जारी की गई।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18 / 07 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 477वीं बैठक दिनांक 20 / 07 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रविण सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स अल्ट्रा–टेक इन्वायरोंमेन्टल कन्सल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, थाणे, महाराष्ट्र की ओर से डॉ. देव नारायण उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

   ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक / क. / ख.लि. / तीन–6 / 2022 / 1729–2 रायपुर, दिनांक 26 / 09 / 2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2002	910	2011	8,825
2003	2,570	2012	9,303.28
2004	1,280	2013	11,652.17
2005	1,770	2014	6,151.40
2006	2,350	2015	निरंक
2007	1,920	2016	निरंक
2008	7,680	2017	निरंक
2009	5,190	2018	निरंक
2010	11,535	2019 (30 / 06 / 2019)	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत लालपुर का दिनांक 12 / 09 / 2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना –** मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड पीएमसीपी प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक सं / रायपुर / चूप / खयो–1112 / 2017–रायपुर / 577 रायपुर, दिनांक 28 / 09 / 2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1729–1 / ख.लि. / तीन–6 / 2022 रायपुर, दिनांक 26 / 09 / 2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.214 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1729–1/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 26/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, पुल, नदी, राज्यमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज डीड का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री अखिलेश कुमार सिंह के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 26/07/1999 से 25/07/2019 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ 7–9/2015/12 नया रायपुर, दिनांक 19/05/2015 द्वारा मूल स्वीकृति दिनांक से 50 वर्षो तक विस्तारित की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (खसरा क्रमांक 274/7, रकबा 1.214 हेक्टेयर) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण के लिए मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./रा/672 रायपुर, दिनांक 30/03/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर की आकाशीय दूरी से अधिक है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डोंडेखुर्द 210 मीटर एवं स्कूल ग्राम–डोंडेखुर्द 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 350 मीटर दूर है। खारून नदी 16 कि.मी., मौसमी नाला 3.4 कि.मी., तालाब 840 मीटर एवं नहर 360 मीटर, रिजर्व वायर 7.4 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 13,84,500 टन, माईनेबल रिजर्व 5,02,000 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,51,800 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 10,650 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है। खदान की संभावित आयु 50 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	15,000
द्वितीय	15,000
तृतीय	15,000
चतुर्थ	15,000
पंचम	15,000

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल एवं ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर एवं ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुल 2,215 नग वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 10,650 वर्गमीटर में से कुछ भाग उत्खनित है। अतः लीज क्षेत्र के चारों ओर के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में से गैर उत्खनित क्षेत्र में 1,125 नग वृक्षारोपण किया जाएगा एवं शेष वृक्षारोपण लीज क्षेत्र की सीमा के बाहर ग्राम पंचायत लालपुर द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 274/2 एवं 274/4) में 1,090 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम वर्ष (रूपये)	द्वितीय वर्ष (रूपये)	तृतीय वर्ष (रूपये)	चतुर्थ वर्ष (रूपये)	पंचम वर्ष (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सडकों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
हरित पट्टिका विकास एवं रख–रखाव हेतु (2,215 नग वृक्षारोपण हेतु)		6,43,000	2,73,000	2,73,000	2,73,000	2,73,000
रैंप एवं पहुंच मार्ग के रख–रखाव हेतु		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
माईन कर्मी की सुविधाओं हेतु	बीमा कवर	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500
	स्वास्थ्य जांच	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
	आश्रय, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं	1,23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
	व्यक्तिगत सुरक्षा	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000

उपकरण					
अन्य खर्च	15,000	–	–	–	–
कुल राशि = 29,30,000	9,74,000	4,89,000	4,89,000	4,89,000	4,89,000

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 10,650 वर्गमीटर है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष बताया गया कि आवेदक श्री अखिलेश कुमार सिंह के पक्ष में स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनिपट्टा क्षेत्र का स्वीकृत क्षेत्र के बाहर बाउण्ड्री पिलर नं. 14 से 15 के मध्य 550 टन खनिज का अवैध उत्खनन किया गया है। उक्त के संबंध में उनके विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया जाकर रूपये 1,76,000/– अर्थदण्ड आरोपित कर राशि वसूल की गई है।

इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 551/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 27/05/2022 द्वारा स्थल जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 दिसम्बर 2021 से 15 मार्च 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 7 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (μg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (μg/m^3)**	**Maximum (μg/m^3)**	**CPCB Standard (μg/m^3)**
$PM_{2.5}$	12	51	60
PM_{10}	42	88	100

SO_2	5	21	80
NO_2	10	27	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक, लेड एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	49.5	53.9	75
Night L_{eq}	39.4	44.6	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 267 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.22 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 8.2 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 275.22 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.23 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

vi. **जी.एल.सी. की गणना –** खनन, लोडिंग–अनलोडिंग, भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों के परिवहन को समाहित करते हुये जी.एल.सी. (**GLCs**) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार PM_{10} का अधिकतम मान 95.67 **$\mu g/m^3$** है, जो कि निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 24/02/2023 प्रातः 10:30 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–लालपुर, वि.खं. धरसीवां, तहसील व जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 17/04/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया जाए।

ii. आस–पास के गांव में यहां शासकीय भूमि है। जैसे स्कूलों एवं पंचायतों में खाली जमीन है। इसमें खदान द्वारा वृक्षारोपण कराया जाए, जिससे पर्यावरण संतुलित रहेगा।

iii. कुछ खदानों का जैसे क्रशर का जो गिट्टी निकलने का साइट होता है उसको आवागमन मार्ग से हटाकर थोड़ी दूर में लगाया जाए जिससे कि सड़कों में डस्ट ना आए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा।

ii. खदान की सीमा क्षेत्र में स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण तथा सुरक्षा के लिए कांटेदार बाढ़ के साथ नियत अंतराल पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

iii. वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सड़कों पर, क्रशर तथा अन्य धूल उड़ने वाले बिंदुओं पर नियमित रूप से जल का छिड़काव कर डस्ट उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 2 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 1.04 कि.मी.	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (694 नग) वृक्षारोपण हेतु	2,36,000	1,60,000	1,60,000	1,60,000	1,60,000
इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग वार्षिक (Yearly)	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
सड़क/पहुँच मार्ग के रख–रखाव हेतु	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
हेल्थ चेकअप केम्प्स फॉर विलेजर्स	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 25,76,000	**5,76,000**	**5,00,000**	**5,00,000**	**5,00,000**	**5,00,000**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 818 मीटर	1,42,000	1,42,000	1,42,000	1,42,000	1,42,000

818 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (546 नग) वृक्षारोपण हेतु	1,86,000	1,26,000	1,26,000	1,26,000	1,26,000
इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
सड़क / पहुँच मार्ग के रख–रखाव हेतु	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
हेल्थ चेकअप केम्प्स फॉर विलेजर्स	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
कुल राशि = 20,35,000	**4,55,000**	**3,95,000**	**3,95,000**	**3,95,000**	**3,95,000**

20. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
94.84	2%	1.89	Following activities at, **Village- Dondekhurd**	
			Plantation with Fencing at Village Pond boundary & AMC for 5 years	2.11
			Total	**2.11**

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर (आम एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 73 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 9,750 रूपये, खाद के लिए राशि 3,250 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 35,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 58,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,53,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

ग्राम पंचायत लालपुर के सहमति उपरांत तालाब (खसरा क्रमांक 281) के चारों ओर वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

23. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

24. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।

25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित उपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्त्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु उपाय किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. आवेदित स्थल से स्कूल 800 मीटर, अस्पताल 1.6 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 210 मीटर की दूरी पर है जो कि छ.ग. गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले

जन समस्याओं का निराकरण हेतु उपाय किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाईन्स के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के दिशा–निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 214 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

39. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1729–1/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 26/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान, क्षेत्रफल 1.214 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–लालपुर) का क्षेत्रफल 4.479 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लालपुर) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 5.693 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स लालपुर लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री अखिलेश कुमार सिंह), ग्राम–लालपुर, तहसील व जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 274/1 एवं 274/6 में स्थित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.479 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स लालपुर लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री अखिलेश कुमार सिंह) को पर्यावरणीय स्वीकृति निम्न शर्त के अधीन दिए जाने का निर्णय लिया गया:–

   i. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

9. **मेसर्स आर.एस. स्टील उद्योग, सेक्टर सी., उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2472)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 430956/2023, दिनांक 26/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेक्टर–सी, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नंबर 224, कुल क्षेत्रफल–0.8444 हेक्टेयर, रेगुलाईजेशन ऑफ रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स, क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 4.02 करोड़ रूपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 477वीं बैठक दिनांक 20/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नितिन गर्ग, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (एम.एस. एंगल, राउण्ड, चैनल, सी.टी.डी. बार्स, फ्लैट्स, ग्राइंडिग बॉल्स आदि) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 24/10/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 28/02/2030 तक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **लीज का विवरण** – छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 28/02/2020 द्वारा मेसर्स आर.एस. स्टील उद्योग को लीज डीड जारी किया गया है, जिसके अनुसार ओद्यौगिक क्षेत्र उरला, प्लॉट नंबर 224 (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 676/1, 676/2, 676/3, 677/1, 677/3, 685/7 एवं 685/11), क्षेत्रफल 0.8447 हेक्टेयर (2.09 एकड़) भूमि में उद्योग स्थापना आदि कार्य हेतु आबंटन किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 28/02/2020 से 10/06/2090 तक है।

3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी उरला 2.6 कि.मी., निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 4.9 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 23 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. दूर है। खारून नदी 4.3 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Particular	Area (Sq.m.)	Percentage (%)
1.	Built up area	3,774	44.71
2.	Road & Paved area	450	5.33
3.	Green Belt area	3,376	40
4.	Open area	844	9.96
	Total	**8,444**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल :–**

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets	31,000	Open Market	By Road

6. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –**

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Existing Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products : 30,000 MTPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल स्थापित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्थापित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का बैग फिल्टर लगाया गया है एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना बताया गया है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –** रोलिंग मिल से मिल स्केल–300 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–700 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। साथ ही ऐश 1,440 टन प्रतिवर्ष जनित होता है, जिसे ईट निर्माण इकाईयों को विक्रय किया जाता है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत –** परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 4 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट स्प्रेशन हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से की जाती है। जल की उपयोगिता के संबंध में छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अनुमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू

दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 950 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.व्ही.ए. के डी.जी. सेट ऊंचाई की चिमनी के साथ स्थापित किया गया है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – उद्योग का क्षेत्रफल कम होने के कारण हरित पट्टिका के विकास हेतु 0.337 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 845 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

    Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर)

फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

ii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

iii. project proponent shall submit information regarding the distance from the lease area to the nearest school, nearest hospital and State Highway .

iv. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit details of water balance chart.

vii. Project proponent shall submit the permission letter of CSIDC for uses of water.

viii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier (if any) along with its capacity use in reheating furnace.

ix. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

x. Project Proponent shall submit detailed proposal for maintaining zero liquid discharge condition.

xi. Project proponent shall submit the details of solid waste generation from the unit.

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xvi. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xviii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by

Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xix. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xxi. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी किया जाए।

10. मेसर्स बांके बिहारी स्टील्स, ग्राम–सरोरा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2466)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 430888/2023, दिनांक 26/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रिंग रोड नंबर 2, ग्राम–सरोरा, जिला–रायपुर, प्लॉट नंबर 4 पार्ट (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 553 एवं 558), कुल क्षेत्रफल 2.05 एकड़ (0.8306 हेक्टेयर), रेगुलाईजेशन ऑफ रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–24,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 3.17 करोड़ रूपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 477वीं बैठक दिनांक 20/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आनंद कुमार अग्रवाल, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स, क्षमता–24,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 02/04/2018 को मेसर्स सुपर इस्पात (रायपुर) प्राईवेट

लिमिटेड को जारी की गई, जिसकी वैधता दिनांक 01/05/2018 से 30/04/2023 तक थी।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 29/05/2019 द्वारा मेसर्स सुपर इस्पात (रायपुर) प्राईवेट लिमिटेड को औद्योगिक क्षेत्र सरोरा, जिला–रायपुर में आबंटित रकबा 2.05 एकड़ (0.8306 हेक्टेयर) का हस्तांतरण मेसर्स बांके बिहारी स्टील्स के नाम पर किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स, क्षमता–24,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 12/06/2023 को मेसर्स बांके बिहारी स्टील्स को जारी की गई, जिसकी वैधता दिनांक 01/05/2023 से 30/04/2026 तक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **लीज का विवरण** – छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 01/06/2019 के द्वारा मेसर्स बांके बिहारी स्टील्स को लीज डीड जारी किया गया है, जिसके अनुसार ओद्यौगिक क्षेत्र उरला, प्लॉट नंबर 4 पार्ट (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 553 एवं 558), क्षेत्रफल 2.05 एकड़ (0.8306 हेक्टेयर) भूमि में उद्योग स्थापना आदि कार्य हेतु आबंटन किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 01/06/2019 से दिनांक 22/05/2080 तक है। साथ ही पार्टनर द्वारा पार्टनरशीप डीड (श्री दीनदयाल अग्रवाल, श्री आंनद कुमार अग्रवाल, श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल एवं श्री संजय कुमार बंसल) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- समीपस्थ आबादी सरोरा 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 5.9 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 21 कि.मी. की दूरी पर है। खारून नदी 4.1 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Particular	Area in Sq.m.	Percentage (%)
1.	Built up area	1,861	22.40
2.	Road & Paved area	740	8.91
3.	Green Belt area	3,322.4	40

4.	Open area	2,382.6	28.69
	Total	**8,306**	**100**

5. रॉ–मटेरियल :–

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
2.	Billets	25,000	Open Market	By Road

6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Existing Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products : 24,000 MTPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल स्थापित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्थापित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का बैग फिल्टर लगाया गया है एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना बताया गया है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–300 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–700 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। साथ ही ऐश 1,240 टन प्रतिवर्ष जनित होता है, जिसे ईट निर्माण ईकाइयों को विक्रय किया जाता है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 9.5 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट स्प्रेशन हेतु 2.5 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से 9.5 घनमीटर प्रतिदिन हेतु दिनांक 11/05/2023 द्वारा जारी अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 900 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया गया है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.332 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 830 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

    Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

ii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

iii. project proponent shall submit information regarding the distance from the lease area to the nearest school, nearest hospital and State Highway .

iv. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit the water balance chart.

vii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier (if any) along with its capacity use in reheating furnace.

viii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

ix. Project Proponent shall submit detailed proposal for maintaining zero liquid discharge condition.

x. Project proponent shall submit the details of solid waste generation from the unit.

xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xiv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xv. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xx. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating

the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श** उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी किया जाए।

11. मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील प्रोडक्ट्स, सेक्टर सी, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2468)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 430911/2023, दिनांक 26/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर सी, जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नंबर 190, 192 एवं 193, कुल क्षेत्रफल–0.81 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स, क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 3.77 करोड़ रूपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 477वीं बैठक दिनांक 20/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अमन चौधरी, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (रॉड्स, एंगल, ट्विस्टेड बार आदि) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 25/04/2018 को जारी की गई, जो कि दिनांक 01/08/2018 से दिनांक 31/07/2023 की अवधि तक वैध है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **लीज का विवरण** – एम.पी. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर के दिनांक 28/02/1987 के द्वारा मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील प्रोडक्ट्स, श्री अब्दुल गफ्फार

(पार्टनर) को लीज डीड जारी किया गया है, जिसके अनुसार ओद्यौगिक क्षेत्र उरला, रायपुर, प्लॉट नंबर 190, 192 एवं 193, क्षेत्रफल 87,120 वर्गफीट (2 एकड़) भूमि में उद्योग स्थापना आदि कार्य हेतु आबंटन किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 28/02/1987 से दिनांक 17/02/2086 तक है।

तत्पश्चात् एम.पी. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर के दिनांक 14/05/1996 द्वारा मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील प्रोडक्ट्स, श्री सुरेश कुमार अग्रवाल (पार्टनर) के नाम पर लीज डीड में संशोधन जारी किया गया है। साथ ही दिनांक 01/08/2020 का पार्टनरशीप डीड (श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, श्री विरेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री बसंत कुमार अग्रवाल एवं श्री अमन चौधरी) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- समीपस्थ आबादी बिरगांव 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 4.4 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.8 कि.मी. दूर है। खारून नदी 8.1 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Particular	Area In Sq.m.	Percentage (%)
1.	Built up area	3,428	42.32
2.	Road & Paved area	630	7.78
3.	Green Belt area	3,240	40
4.	Open area	802	9.9
	Total	**8,100**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल** :–

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
3.	Billets	32,600	Open Market	By Road

6. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी** –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Existing Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products : 30,000 MTPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल स्थापित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्थापित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का बैग फिल्टर लगाया गया है एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना बताया गया है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–1,000 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–1,600 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। साथ ही ऐश 1,440 टन प्रतिवर्ष जनित होता है, जिसे ईट निर्माण ईकाइयों को विक्रय किया जाता है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 10 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट स्प्रेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से 1 घनमीटर प्रतिदिन हेतु दिनांक 11/02/2021 द्वारा जारी अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि जल की आपूर्ति 10 घनमीटर प्रतिदिन हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग/ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 1,300 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया गया है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.324 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 810 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

ii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

iii. project proponent shall submit information regarding the distance from the lease area to the nearest school, nearest hospital and State Highway .

iv. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit the water balance chart.

vii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier (if any) along with its capacity use in reheating furnace.

viii. Project proponent shall submit the Central Ground Water Authority NOC for uses of water.

ix. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

x. Project Proponent shall submit detailed proposal for maintaining zero liquid discharge condition.

xi. Project proponent shall submit the details of solid waste generation from the unit.

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xvi. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xviii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xix. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xxi. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी किया जाए।

12. मेसर्स के.ए. पाप्पच्चन आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रजनिश दुबे), ग्राम–किरंदुल, तहसील–कुआकोण्डा, जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2467)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430878/ 2023, दिनांक 26/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरंदुल, तहसील–कुआकोण्डा, जिला–दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 61, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5,033 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/07/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स किसान स्टील रोलिंग मिल, प्लॉट नं. 552 ए, 552 बी, 569, 570 ए, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2478)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी1/431149/2023, दिनांक 27/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्लॉट नं. 552 ए, 552 बी, 569, 570 ए, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–0.56 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–10,200 टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 2.37 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेन्द्र चन्द्रिकापुरे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस.एंगल्स, सी.टी.डी.बार, स्क्वायर, चैनल, राउंड, विंडो सेक्शन, फ्लैट्स) क्षमता–10,200 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 24/10/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 01/03/2020 से दिनांक 28/02/2026 तक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **लीज डीड का विवरण –** छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मेसर्स किसान स्टील रोलिंग मिल, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–रायपुर (प्रो.– श्री राजेश कुमार अग्रवाल) को प्लॉट नं. 569, 570–ए एवं 552–बी (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 625/1, 625/2 एवं 626/1), प.ह.न. 28, क्षेत्रफल 1.04 एकड़ (0.418 हेक्टेयर) हेतु लीज 20/07/2021 से दिनांक 16/02/2085 तक, प्लॉट नं. 552–ए, क्षेत्रफल 0.35 एकड़ हेतु लीज दिनांक 10/09/2013 से दिनांक 16/02/2085 तक जारी किया गया है, इस प्रकार कुल 1.39 एकड़ (0.56 हेक्टेयर) हेतु लीज जारी की गई है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी बीरगांव 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 7.6 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 3.69 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Builtup Area	1,545	27.58
2.	Road & Paved area	390	06.96
3.	Greenbelt Area	2,240	40.00
4.	Open Area	1,425	25.44
Total		**5,600**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल क्षमता –**

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport

1.	Billets /Ingots/Missroll	11,000	Open Market	By road

6. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –**

S. No.	Particular	Capacity
1.	Unit	Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products 10,200 MTPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल स्थापित है। स्थापित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का बेग फिल्टर लगाया गया है एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाता है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–600 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग–200 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश 460 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है तथा ऐश को ईंट निर्माण ईकाईयों को विक्रय किया जाता है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 4 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट 0.5 घनमीटर प्रतिदिन एवं डस्ट स्प्रेशन हेतु 0.5 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। समिति का मत है कि भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 400 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.224 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 560 वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई. आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.
ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.
iii. Project proponent shall submit details of annual coal requirement and show storage area of coal on plant layout.
iv. Project proponent shall submit an affidavit that there will be no increase in coal quantity.
v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
vi. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year (CA certified report).

vii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.

viii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

ix. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit the Central Ground Water Authority NOC for uses of water.

xiii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xiv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xv. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xx. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate detailed DPR in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी किया जाए।

14. मेसर्स अशोक इस्पात उद्योग, सेक्टर–सी, इण्डस्ट्रीयल एरिया उरला, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2484)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 431434/2023, दिनांक 29/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्लांट नं. 215, सेक्टर–सी, इण्डस्ट्रीयल एरिया उरला, जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–0.63 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–9,000 टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 1.2 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र बोथरा, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस.एंगल्स, बार, फ्लैट्स) क्षमता–9,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 04/06/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 31/03/2024 तक की अवधि हेतु है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **लीज डीड का विवरण** – मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा मेसर्स अशोक इस्पात उद्योग, उरला, जिला–रायपुर को ग्राम–अछोली, क्षेत्रफल 1.55 एकड़ हेतु दिनांक 19/06/1995 से दिनांक 18/06/2094 तक की अवधि के लिए लीज जारी किया गया है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–बीरगांव 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 5.4 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 23 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14.1 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3.35 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Building shed	1,640	26.03
2.	Road area	910	14.44
3.	Green area	2,520	40.00
4.	Open land	1,230	19.52
Total		**6,300**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल क्षमता –**

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of transport
1.	Billets	9,500	Open Market	By road

6. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –**

S. No.	Particular	Existing
1.	Unit	Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products 9,000 MTPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल स्थापित है। स्थापित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का बेग फिल्टर लगाया गया है एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाता है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–300 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग–200 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश 324 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है तथा ऐश को ईंट निर्माण ईकाईयों में विक्रय किया जाता है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 1.5 घनमीटर जल की आवश्यकता होती है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता (1 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि शेष 0.5 घनमीटर भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 900 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.252 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 630 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

iii. Project proponent shall submit details of annual coal requirement and show storage area of coal on plant layout.

iv. Project proponent shall submit an affidavit that there will be no increase in coal quantity.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year (CA certified report).

vii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.

viii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

ix. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit the Central Ground Water Authority NOC for uses of water.

xiii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xiv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xv. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xx. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate detailed DPR in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी किया जाए।

15. मेसर्स नवागांव स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती अनिता अग्रवाल), ग्राम–नवागांव, तहसील–पिथौरा, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2488)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430910/ 2023, दिनांक 29/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नवागांव, तहसील–पिथौरा, जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक–53, 55, 58 एवं 59, कुल क्षेत्रफल–2.18 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–34,143.2 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/07/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना

प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स प्रिमियर मेटल्स (प्रो.– श्री अजय झांझरी), ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2213)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 405329/ 2022, दिनांक 30/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 12/12/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1971/1 एवं 1971/2, कुल क्षेत्रफल–1.8 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–32,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अजय झांझरी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1971/1 एवं 1971/2, कुल क्षेत्रफल–1.8 हेक्टेयर, क्षमता 32,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 26/02/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 25/02/2023 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 25/02/2024 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के चारों तरफ तथा अन्य स्थानों में कुल 400 नग वृक्षारोपण किया गया है। अतः समिति का मत है कि पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 98/ख. लि./तीन–6/2023 रायपुर, दिनांक 17/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2018–19	13,348
2019–20	24,696
2020–21	19,999
2021–22	16,956

v. समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत नरदहा का दिनांक 13/06/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख. प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 5505/खनि 02/मा.प्ल. अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 21/10/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 97/ख.लि./तीन–6/2023 रायपुर, दिनांक 17/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 181.82 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 97/ख.लि./तीन–6/2023 रायपुर, दिनांक 17/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है। 200 मीटर के भीतर नाला स्थित है।

6. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स प्रिमियर मेटल्स, प्रो.– श्री अजय झांझरी के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/02/2018 से 21/02/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 1971/1 श्रीमती नेहा झांझरी एवं खसरा क्रमांक 1971/2 श्रीमती प्रेम झांझरी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू–स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुंगी 1.1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–नरदहा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 10,14,660 टन, माईनेबल रिजर्व 3,67,530 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,56,504 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,807 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,000 घनमीटर है, जिसमें से ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 906 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	32,000
द्वितीय	32,000
तृतीय	32,000
चर्तुथ	32,000
पंचम	32,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – वर्तमान में लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं अन्य स्थानों में 400 नग वृक्षारोपण किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 3,807 वर्गमीटर है, जिसमें से 800 वर्गमीटर क्षेत्र 7 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – ओव्हर बर्डन एवं ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु लीज क्षेत्र में 1,726 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। साथ ही संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र के भीतर 22 मीटर उत्खनन उपरांत 336 वर्गमीटर क्षेत्र में 3 मीटर की गहराई एवं लीज क्षेत्र के भीतर 19 मीटर उत्खनन उपरांत 64 वर्गमीटर क्षेत्र में 6 मीटर की गहराई में उत्खनन किया जाना संभव नहीं होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। उपरोक्त का उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2022 से 14 जनवरी 2023 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 16/12/2022 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में किये गये 400 नग पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी किया जाए।

3. दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/04/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/07/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 01/02/2023 को ई–मेल के माध्यम से आवेदन कर दिया गया था परंतु हार्ड कॉपी को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ने पर्यावरण स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के कारण जमा लेने से मना कर दिया गया। वर्तमान में पालन प्रतिवेदन हेतु सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, छत्तीसगढ़ को दिनांक 19/06/2023 को जमा किया गया है, जो कि अभी विचाराधीन है। पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने उपरांत राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ को जमा कर दी जायेगी।

   पूर्व में एस.ई.ए.सी., छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 13/04/2023 द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 अनुसार:–

   A. Proposals involving expansion of existing EC

i. At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से तीन माह के भीतर प्राप्त नहीं होने की दशा में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाना आवश्यक है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी, क्रशर एवं अन्य स्थल पर (ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि में) राजधानी क्रशर ओनर एसोसिएशन द्वारा किये गयेव वृक्षारोपण का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1109/खनिज/चु.प./2023 रायपुर, दिनांक 02/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक)	10,433

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (मेसर्स नरदाहा लाईम स्टोन क्वारी माईन, प्रो.– श्री इन्द्र कुमार अठवानी, खसरा क्रमांक 1945, क्षेत्रफल 0.963 हेक्टेयर) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./रा/2682 रायपुर, दिनांक 13/08/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 97/ख.लि./तीन–6/2023 रायपुर, दिनांक 17/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 181.82 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नरदहा) का रकबा 1.8 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–नरदहा) को मिलाकर कुल रकबा 183.62 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

   iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iv. Project proponent shall submit production details to till date from the mining department.

   v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

   vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

viii. Project proponent shall submit the permission from CGWA for usage of water.

ix. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall complete plantation of previous environmental clearance conditions and submit details of plants (species, number etc.) along with Geotag photographs.

xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report."

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

17. मेसर्स बारगांव ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री फालेश कुमार साहू), ग्राम–बारगांव, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2324)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 416899/2023, दिनांक 03/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बारगांव, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 370/1, 370/2, 370/3 एवं 371/1, कुल क्षेत्रफल–2.04 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री फालेश कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बारगांव का दिनांक 06/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक, खनिज प्रशासन, जिला–दुर्ग के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1568/खनि. अनु–01/2022 दुर्ग, दिनांक 11/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 862/खनि.लि./उ.प./मिट्टी/2023 बेमेतरा, दिनांक 25/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 863/खनि.लि./उ.प./मिट्टी/2023 बेमेतरा, दिनांक 25/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री फालेश कुमार साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 727/खनि.लि./डोलो/2020 बेमेतरा, दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2022/4134 दुर्ग, दिनांक 19/09/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पिपरोलडीह 530 मीटर, स्कूल ग्राम–पिपरोलडीह 700 मीटर एवं अस्पताल आनंदगांव 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। तालाब 100 मीटर एवं शिवनाथ नदी 4.5 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 40,800 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 34,550 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,750 वर्गमीटर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 29 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,200
द्वितीय	1,200
तृतीय	1,200
चर्तुथ	1,200
पंचम	1,200

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 35,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,51,125 रूपये, खाद के लिए राशि 21,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 92,800 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,99,925 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 3,43,600 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 450 वर्गमीटर क्षेत्र को रॉ–मटेरियल एकत्रित करने तथा 50 वर्गमीटर क्षेत्र को कार्यालय निर्माण करने हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49.75	2%	0.995	Following activities at **Village- Bargaon**	
			Pavitra van Nirman	3.81
			Total	**3.81**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 69,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,11,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,70,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बारगांव के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 42/1, क्षेत्रफल 9.28 हेक्टेयर में से 0.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर ईट भठ्ठा का निर्माण निकटतम ग्रामीण क्षेत्र से 824 मीटर दूरी में निर्माण किये जाने बाबत् ईट भठ्ठा से निकटतम ग्रामीण क्षेत्र (अंक्षाश 21°32'51.64" देशांतर 81°34'13.88") को नक्शे में दर्शाते हुए जानकारी प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में लीज क्षेत्र में फिक्स चिमनी का निर्माण कार्य आबादी से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़कर किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है, जबकि अनुमोदित माईनिंग प्लान में उक्त का उल्लेख नहीं है। समिति का मत है कि आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़ते हुए (गैर माईनिंग क्षेत्र) संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र के 1 कि.मी. के परिधि में अन्य कोई लीज/ईट भट्टा संचालित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईट भट्टा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में लीज क्षेत्र में किसी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किये जाने एवं भविष्य में भी 50 प्रतिशत की दर से मिट्टी और फ्लाई ऐश का उपयोग कर ईट निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. फिक्स चिमनी की ऊँचाई कम से कम 30 मीटर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. ईट को पकाने के लिए ईट भट्टें में केवल जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. कच्चे माल/ईट परिवहन के दौरान वाहनों को ढककर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. ईट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं

प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेंटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उन्हे भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हे मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एक लाख ईंट निर्माण हेतु कितने कोयले की आवश्यकता होगी के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कोयले के परिवहन एवं भण्डारण हेतु की गई आवश्यक व्यवस्था की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।
2. आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़ते हुए (गैर माईनिंग क्षेत्र) तथा प्रस्तावित ईट निर्माण की संख्या का भी उल्लेख करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. ब्लॉक रिर्जव की गणना से चिमनी को हटाते हुए तथा प्रस्तावित ईट निर्माण की संख्या का भी उल्लेख करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्टा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/07/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि एक लाख ईट निर्माण में लगभग 3 टन कोयले की आवश्यकता होगी इस आधार पर प्रस्तावित 12 लाख ईट निर्माण के लिए 36 टन प्रतिवर्ष कोयले की आवश्यकता होगी। उपरोक्त जानकारी अनुमोदित खनन योजना के पृष्ठ क्रमांक 11 में उल्लेख किया गया है। कोयले के ग्रेड मे अंतर आने पर इसके मात्रा मे अंतर आ सकता है जो कुल मात्रा का 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत हो सकता है।
2. आबादी क्षेत्र/स्कूल से लीज क्षेत्र 700 मीटर पर स्थित है परंतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 को ध्यान मे रखते हुए चिमनी भट्टे को आबादी से 800 मीटर दूर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया हुआ है जिसे अनुमोदित खनन योजना मे लगे नक्शों में प्रदर्शित किया गया है तथा भट्टे को आबादी से 800 मीटर दूर स्थापित करने हेतु आपके विभाग मे शपथ पत्र पूर्व मे जमा किया गया है।
3. अनुमोदित खनन योजना मे चिमनी क्षेत्र की गणना बाधित क्षेत्र में किया गया है अतः इस क्षेत्र पर संशोधित खनन योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

   अनुमोदित खनन योजना मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 1 घनमीटर मिटटी और 1 घनमीटर फ्लाई एश के मिश्रण से 1,000 नग ईट का निर्माण होता है जिस आधार पर क्षेत्र मे 12 लाख ईट प्रतिवर्ष ईट निर्माण के लिए 1,200 घनमीटर मिटटी उत्खनन का प्रस्ताव अनुमोदित खनन योजना में दिया गया है अतः इस क्षेत्र के लिए संशोधित खनन योजना की आवश्यकता नहीं है। समिति का मत है कि आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़ते हुए (गैर

माईनिंग क्षेत्र) संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के पत्र क्रमांक 280/खनि.लि./उ.प./मिट्टी चिमनी ईंट/2023 बेमेतरा, दिनांक 16/06/2023 के अनुसार "प्रमाणित किया जाता है कि श्री फालेश कुमार साहू आ. बोधी राम साहू, निवासी परशुराम, सिंघारी वार्ड नं. 13, तहसील व जिला–बेमेतरा के ग्राम–बारगांव, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा के खसरा क्रमांक 371/1, 370/2, 370/1 एवं 370/3 का कुल रकबा 2.04 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज मिटटी (चिमनी ईंट) स्थित खदान से 1 किलोमीटर की परिधि में अन्य कोई ईट भटठा या लीज संचालित नहीं है।"

5. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 862/खनि.लि./उ.प./मिट्टी/2023 बेमेतरा, दिनांक 25/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–बारगांव) का क्षेत्रफल 2.04 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़ते हुए (गैर माईनिंग क्षेत्र) संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बारगांव ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री फालेश कुमार साहू) को ग्राम–बारगांव, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा के खसरा क्रमांक 370/1, 370/2, 370/3 एवं 371/1 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–2.04 हेक्टेयर, क्षमता–1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़ते हुए (गैर माईनिंग क्षेत्र) संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स बिलाडी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय सहगल), ग्राम–बिलाडी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1190)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 144140/2020, दिनांक 20/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 26/02/2020 एवं 17/07/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/07/2020 एवं 19/08/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बिलाडी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल–2.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन

में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय सहगल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बिलाडी का दिनांक 06/05/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 04/ख.लि./तीन–6/उ.प./2017 रायपुर, दिनांक 03/04/2017 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क/ख.लि./तीन–6/2019/2047 रायपुर, दिनांक 25/09/2019 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क/ख.लि. /तीन–6/2019/2036 रायपुर, दिनांक 24/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री शिव कुमार देवागंन के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 27/11/2004 से 26/11/2014 तक की अवधि हेतु थी। लीड डीड का हस्तांतरण श्री संजय सहगल के नाम पर दिनांक 02/09/2010 को किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज डीड की अवधि वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./रा/3025 रायपुर, दिनांक 07/09/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बिलाडी 1 कि.मी. स्कूल ग्राम–बिलाडी 1 कि.मी. एवं अस्पताल तिल्दा 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,35,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,02,133 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,71,919 टन है। जियोलॉजिकल रिजर्व की गणना 6 मीटर गहराई तक की गई है। विगत 10 वर्षों में 0.93 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,866 घनमीटर एवं मोटाई 0.2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं वर्तमान में इसकी स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	933	1.5	1,400	3,500
द्वितीय	933	1.5	1,400	3,500
तृतीय	933	1.5	1,400	3,500
चतुर्थ	933	1.5	1,400	3,500
पंचम	933	1.5	1,400	3,500

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छटवे	933	1.5	1,400	3,500
सातवे	933	1.5	1,400	3,500
आठवे	933	1.5	1,400	3,500

नौवे	933	1.5	1,400	3,500
दसवे	933	1.5	1,400	3,500

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् से सहमति ली जाएगी।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 1ऊपरी मिट्टी को प्रथम वर्ष में उत्खनन कर, 7.5 मीटर की पट्टी में भण्डारण/संरक्षित कर प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

    i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल – 2.9 हेक्टेयर, क्षमता – 300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 12/06/2015 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

    iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

    iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 06/10/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2010	250
2011	500
2012	निरंक
2013	500
2014	निरंक

    v. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्खनन कार्य वर्ष 2014 से बंद है। चुंकि लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 27/11/2004 से 26/11/2014 तक की अवधि हेतु थी।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव में शासकीय स्कूल, ग्राम–बिलाड़ी में प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं वृक्षारोपण की उपयुक्त गणना तथा कुल लागत में प्रस्तावित क्रशर की लागत को समावेश नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है एवं उक्त क्षेत्र के ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना भी नहीं की गई है। साथ ही प्रस्तुत लेण्ड यूज पैटर्न में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के

लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के क्षेत्रफल का विवरण नहीं दिया गया है। अतः उपयुक्त की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त विवरण अनुसार रिजर्व की विस्तृत गणना कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव में कुल लागत में प्रस्तावित क्रशर की लागत को समावेश किया जाए एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण आदि की उपयुक्त गणना सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/01/2021 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में दिनांक 03/04/2017 को प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान में जियोलॉजिकल रिजर्व 4,35,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,02,133 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,71,919 टन होना बताया गया है, जबकि गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र में ब्लॉक्ड रिजर्व को शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में प्रस्तुत संशोधित माईनिंग प्लान में जियोलॉजिकल रिजर्व 4,23,750 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,97,150 टन है। साथ ही ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र (ब्लॉक्ड रिजर्व 22,500 टन) होना बताया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि गणना में त्रुटि है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
2. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव में कुल लागत में प्रस्तावित क्रशर की लागत को समावेश करते हुये प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण आदि की उपयुक्त गणना सहित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
70.04	2%	1.40	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Biladi**	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Potable Drinking Water Facility	0.15

			Plantation with fencing	0.30
			Total	**1.45**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को बिन्दु क्रमांक 1 के संबंध में स्पष्ट जानकारी एवं समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय सहगल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **उत्खनन योजना** – संशोधित क्वॉरी प्लान एलॉग विथ इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वॉरी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन पृ.क्रमांक 5112/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 08/12/2020 द्वारा अनुमोदित है। जिसमें जियोलॉजिकल रिजर्व 4,31,250 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,04,650 टन है। साथ ही ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र 1,500 वर्गमीटर (कुल ब्लॉक्ड रिजर्व 22,600 टन) होना बताया गया है।
2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में इस चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल–2.9 हेक्टेयर, क्षमता–300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 12/06/2015 को जारी की गई थी। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता–3,500 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/03/2021 के परिपेक्ष्य में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 13/09/2021 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन अनुसार शर्त क्रमांक 14 (वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जाना), शर्त क्रमांक 25 (न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रसारित नहीं किया गया) एवं 26 (पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तो के पालन हेतु की गई

कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया) का अपूर्ण पालन होना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तों का पालन पूर्ण करने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 14 अनुसार वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित एवं निर्धारित शर्त क्रमांक 26 अनुसार अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 14 अनुसार वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 26 (पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तो के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया) का अपूर्ण पालन होना बताया गया है।
3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 26 अनुसार अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(उ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी बिन्दुवार प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक 14, 25, 26 एवं 31 का पालन नहीं किया गया है।
2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 60,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,58,700 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,89,600 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,08,300 रूपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
4. सी.ई.आर. के तहत् 50 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 23,000 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 48,100 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 70,000 रूपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
5. उत्खनन के संबंध में प्रस्तुत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2004 का है। तत्पश्चात् लीज डीड का हस्तांतरण हो चुका है। अतः समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की प्रस्तुत बिन्दुवार जानकारी के शर्त क्रमांक 14, 25, 26 एवं 31 का पालन पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये।
2. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/05/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 24/05/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ऊ) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की प्रस्तुत बिन्दुवार जानकारी के शर्त क्रमांक 14, 25, 26 एवं

31 का पालन पूर्ण कर 6 माह के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना बताया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह खदान क्षमता विस्तार के प्रकरण के अंतर्गत आता है। पूर्व में उत्खनन के संबंध में प्रस्तुत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2004 के आधार पर ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है तथा पूर्व में क्रशर की स्थापना का प्रस्ताव नहीं था। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में भी वर्ष 2004 के ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही पर्यावरणीय स्वीकृति (क्षमता विस्तार के लिए) जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित क्वारी प्लान में ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र 1,500 वर्गमीटर (कुल ब्लॉक्ड रिजर्व 22,600 टन) होना बताया गया है तथा पूर्व में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2004 का केवल उत्खनन के संबंध में जारी किया गया है। जबकि वर्तमान में क्षमता विस्तार के साथ क्रशर की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है। अतः उत्खनन के संबंध में एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. अद्यतन उत्खनन के संबंध में एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. क्षमता विस्तार से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पी.सी.यू. में वर्तमान उत्खनन क्षमता (300 टन प्रतिवर्ष) से क्षमता वृद्धि (3,500 टन प्रतिवर्ष) करने पर कुल प्रदूषण में वृद्धि होगी। अतः प्रदूषण को कम करने के संबंध में आपके द्वारा शासन के नियमानुसार समुचित उपाये किये जायेगें इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्तमान में ब्लास्टिंग की संख्या तथा क्षमता विस्तार करने पर ब्लास्टिंग की संख्या में वृद्धि होगी। ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत अतिरिक्त सुरक्षा उपाये एवं अद्यतन पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ए) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वर्तमान में क्रशर स्थापना की योजना नहीं होना बताया गया है। अतः क्रशर की स्थापना के संबंध

में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में समिति का मत है कि क्रशर की स्थापना नहीं किये जाने हेतु संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. क्षमता विस्तार से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पी.सी.यू. में वर्तमान उत्खनन क्षमता (300 टन प्रतिवर्ष) से क्षमता वृद्धि (3,500 टन प्रतिवर्ष) करने पर प्रदूषण को कम करने के संबंध में शासन के नियमानुसार समुचित उपाये किये जाने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

3. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

4. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत अतिरिक्त सुरक्षा उपाये एवं अद्यतन पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. क्रशर की स्थापना नहीं किये जाने हेतु रिजर्व की गणना सहित संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस परियोजना से संबंधित इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ऐ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. क्रशर की स्थापना नहीं किये जाने हेतु रिजर्व की गणना सहित संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के तहत् स्वीकृति के समय पंचायत प्रस्ताव लिये जाने का प्रस्ताव था, नवकरण के समय नहीं था। लीज स्वीकृति के समय पंचायत प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत की गई है।

2. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस परियोजना से संबंधित इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रशर की स्थापना नहीं किये जाने हेतु रिजर्व की गणना सहित संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/07/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ओ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रशर की स्थापना नहीं किये जाने हेतु रिजर्व की गणना सहित संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

2. मॉडिफाईड क्वॉरिंग प्लान एण्ड क्वॉरी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि. प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 4,31,250 टन, माईनेबल रिजर्व 3,28,650 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,950 वर्गमीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.2 मीटर है। जिसे 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 2 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 103 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी

स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2023–24	3,150
2024–25	3,150
2025–26	3,200
2026–27	3,200
2027–28	3,200

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क/ख.लि. /तीन–6/2019/2047 रायपुर, दिनांक 25/09/2019 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–बिलाडी) का क्षेत्रफल 2.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बिलाडी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय सहगल) को ग्राम–बिलाडी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 105/1 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.9 हेक्टेयर, क्षमता–3,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. विस्तारित लीज डीड / लीज एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पूर्ण पालन कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 154वीं बैठक दिनांक 27/09/2023 को संपन्न हुई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 06/09/2023 को किया गया।

2. **मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री गणेश राम), ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2251)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 203013/2021, दिनांक 13/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/412613/2022, दिनांक 06/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 175/1, 175/3 एवं 193, कुल क्षेत्रफल–2.76 हेक्टेयर में से 2.66 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–53,509 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 451वीं बैठक दिनांक 10/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेन्द्र भानुशाली, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रुप में मेसर्स परामर्श सर्विसिंग इन्व्हायरमेंट एण्ड डेव्हलपमेंट, लखनऊ की ओर से श्री सुरेन्द्र विक्रम घावरी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत टिकनपाल का दिनांक 01/09/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 990/खनिज/उ.यो./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 02/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 650/खनिज/ख.लि. 4/04/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 06/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 3.1 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 651/खनिज/ख.लि. 4/04/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 06/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री गणेश राम के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2220/खनिज/ख.लि.4/04/2020/खनिज/उ.प./2020 जगदलपुर, दिनांक 27/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 144/खनि 02/उ.प.–अनु. निष्पा./न.क्र.50/2017(3) नवा रायपुर, दिनांक 10/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 25/11/2022) की अवधि हेतु वैध थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 175/3 श्री अंतुराम, खसरा क्रमांक 175/1 श्री ब्रिजलाल एवं खसरा क्रमांक 193 श्रीमती मालती के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्र./क.त.अ./4656 जगदलपुर, दिनांक 30/12/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–टिकनपाल 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–टिकनपाल 500 मीटर एवं अस्पताल बलेंगा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.86 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9 कि.मी. दूर है। नारंगी

नदी 5.8 कि.मी. एवं इन्द्रावती नदी 6.5 कि.मी., बोरिया नदी 2 कि.मी. एवं मारकण्डी नदी 200 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,59,240 टन एवं माईनेबल रिजर्व 5,01,372 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,238 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड़ विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 16,436 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	43,605
द्वितीय	53,509
तृतीय	49,946
चतुर्थ	43,937.5
पंचम	43,937.5

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	26.11	54.63	60
PM_{10}	51.28	86.63	100
SO_2	7.00	15.36	80
NO_2	12.10	25.87	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	52.2	65.9	75
Night L_{eq}	41.9	53.6	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसारः–

Status	PCU / Day	V/C ratio
Existing	725	0.05
Proposed	1,245	0.08

विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Exellent 0.0-0.2) के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 10/11/2022, प्रातः 11 बजे, स्थान – ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर, ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैंः–**

i. समय को ध्यान रखते हुए ब्लास्टिंग किया जाए। बड़े स्तर पर ब्लास्टिंग नहीं किया जाए। खदानों में बड़ा ब्लास्टिंग किये जाने से घरों में कंपन होता है।

ii. खदान के संचालन से धूल गिट्टी आदि हमारे खेतों में आएगा, जिससे हमारा नुकसान होगा।

iii. जल, वायु, ध्वनि का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। नियमों का पालन करते हुए खदान चलाया जाए।

iv. खदान में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार हैः–

i. ब्लास्टिंग का समय निर्धारित किया जाएगा। ब्लास्टिंग से पहले सायरन बजाया जाएगा ताकि उस समय पर कोई भी व्यक्ति या जानवर वहाँ पर न हों।

ii. धूल आदि का प्रभाव केवल गाड़ियों के निकलने के द्वारा ही होता है। जिसका पूरा रख–रखाव किया जाएगा। सड़क पर पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे कि धूल मिट्टी कम उड़े।

iii. खदान से किसी भी प्रकार का जल, वायु, ध्वनि का प्रदूषण नहीं होगा। इसके लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी।

iv. स्थानीय ग्रामीणों को ही रोजगार के अवसर प्रदान करेंगें।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण के लिए ग्राम पंचायत टिकनपाल (खसरा क्रमांक 439, रकबा 41.88 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) का अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
3. भू–जल उपयोग हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) सहित प्रस्तुत किया जाए।
5. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/03/2023 एवं 26/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 463वीं बैठक दिनांक 10/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 119/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 22/03/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तुक के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान**

करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बस्तर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

2. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 16,436 घनमीटर है। उक्त ऊपरी मिट्टी को 5,478 वर्गमीटर क्षेत्र में 3 मीटर की ऊंचाई तक सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 288, क्षेत्रफल 0.63 हेक्टेयर) क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा।

3. भू–जल उपयोग हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 890 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 89,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,450 रूपये, खाद के लिए राशि 17,177 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 17,800 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 54,023 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष हेतु कुल राशि 1,73,550 रूपये एवं आगामी चार वर्षों हेतु कुल राशि 1,91,350 रूपये का घटकवार व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया है।

5. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 6 खदानें आती है। जिसमें से 5 खदानों को पूर्व में ही पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है। अतः क्लस्टर में शामिल आवेदित खदान द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
क्लस्टर मार्ग में 400 मीटर तक (600 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,20,000	54,000	36,000	21,000	18,000
	फेंसिंग हेतु राशि					
	खाद हेतु राशि					
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि					
कुल राशि = 2,49,000		**1,20,000**	**54,000**	**36,000**	**21,000**	**18,000**

उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
80	2%	1.60	Following activities at Gram	

			Panchayat **Village- Tikanpal**	
			Pavitra Van Nirman	4.15
			Total	**4.15**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, नीम, आम, करंज जामुन, अमलतास, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 1,00,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,000 रूपये, खाद के लिए राशि 19,300 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 55,700 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,00,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,15,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत टिकनपाल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 439, क्षेत्रफल 41.88 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

7. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

16. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 650/खनिज/ख.लि.4/04/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 06/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 3.1 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–टिकनपाल) का क्षेत्रफल 2.76 हेक्टेयर में से 2.66 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–टिकनपाल) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 5.76 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री गणेश राम) को ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर के खसरा क्रमांक 175/1, 175/3 एवं 193 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 2.76 हेक्टेयर में से 2.66 हेक्टेयर, क्षमता–53,509 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/06/2023 को संपन्न 149वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री गणेश राम) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य से उत्पन्न होने वाले जन समस्याओं (विशेषकर स्कूल, अस्पताल, आबादी क्षेत्र, इत्यादि) के निराकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/07/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रेषित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य से उत्पन्न होने वाले जन समस्याओं (विशेषकर स्कूल, अस्पताल, आबादी क्षेत्र, इत्यादि) के निराकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किये जाने के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"हमारी परियोजना छत्तीसगढ़ माइनर मिनरल रूल 2015 एवं संशोधन माइनर मिनरल रूल 2016 में अधिरोपित शर्तों का पूर्णतः पालन करती है तथा प्रस्तावित खदान में खनन कार्य से किसी भी प्रकार की जन समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना नगण्य है, भविष्य में अगर खनन कार्य से किसी भी तरह की जन समस्या उत्पन्न होती है तो परियोजना द्वारा इसकी रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर महोदय की सलाह से विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी एवं कार्य योजना क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धनराशी की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी।"

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पूर्व में प्राधिकरण की 156वीं बैठक दिनांक 11/10/2023 में लिये गये निर्णय के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

3. मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील–धरसींवा जिला–रायपुर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी / 298865/2023, दिनांक 24/03/2023। मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर

प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. उद्योग ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील–धरसींवा जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 39/1, 39/2, 52/1, 52/3, 52/4, 53 एवं 54 के कुल क्षेत्रफल 8.44 एकड़ (3.42 हेक्टेयर), माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता–2,00,000 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू ऑनलाईन हॉट चार्जिंग)–1,90,000 टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2019 द्वारा उक्त क्षमता हेतु मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarize undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किये गये बिजनेस ट्रान्सफर एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के मध्य किये गये विक्रय विलेख की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी बोर्ड ऑफ रिसॉल्युशन की प्रति प्रेषित की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से** निर्णय लिया गया था कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 463वीं बैठक दिनांक 10/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी नोटिफिकेशन 2006 (यथा

संशोधित) के पैरा "**11. Transferability of Environmental Clearance (EC):** A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases." के अनुसार नाम परिवर्तन हेतु Certified Compliance Report (सी.सी.आर.) की आवश्यकता होने का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/05/2023 के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी में उक्त भू–खण्ड में उद्योग स्थापना का कार्य आरंभ नहीं किया गया है। तदैव वर्तमान में पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarize undertaking) प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार अनुशंसा करते हुये आपके ओर प्रेषित है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/06/2023 को संपन्न 149वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में आवेदित भू–खण्ड में उद्योग स्थापना का कार्य आरंभ नहीं किया जाना बताया गया है। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि आवेदित भू–खण्ड में उद्योग स्थापना का कार्य आरंभ हुआ है अथवा नहीं के संबंध में स्थल के निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2023 के परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 28/08/2023 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार "उद्योग स्थल ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील व जिला–रायपुर (छ.ग.) में है। उद्योग स्थल में बॉउण्ड्री वॉल निर्मित है तथा उद्योग स्थल पर निर्माण कार्य नहीं किया गया है। उद्योग स्थल के आस–पास अन्य उद्योग स्थापित एवं संचालित है।" का उल्लेख है।

उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय किया गया** कि मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट

लिमिटेड को राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र क्र. 513/एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग./ई.सी./रायपुर/726 अटल नगर, दिनांक 23/02/2019 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को **मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड** के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन बाबत् पत्र जारी किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(अरूण प्रसाद पी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देबाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़